

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
मांग संख्या 27
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	5172.57	350.63	5523.20	9274.66	446.00	9720.66	9174.25	407.00	9581.25	13911.99	388.01	14300.00
वसूलियां	-126.90	...	-126.90
प्राप्तियां
निवल	5045.67	350.63	5396.30	9274.66	446.00	9720.66	9174.25	407.00	9581.25	13911.99	388.01	14300.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	92.89	...	92.89	109.33	...	109.33	104.07	...	104.07	109.82	...	109.82
2. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र	1076.30	231.89	1308.19	1150.00	250.00	1400.00	1150.00	250.00	1400.00	1192.00	258.00	1450.00
3. विनियामक प्राधिकरण												
3.01 मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी)	95.13	4.01	99.14	110.00	10.00	120.00	104.91	10.00	114.91	110.00	10.00	120.00
3.02 साइबर सुरक्षा (सीईआरटी- इन)	37.00	54.73	91.73	60.00	156.00	216.00	66.30	147.00	213.30	95.00	120.00	215.00
3.03 प्रमाणीकरण प्राधिकरणों का नियंत्रक (सीसीए)	6.71	...	6.71	9.00	...	9.00	8.00	...	8.00	9.00	...	9.00
जोड़- विनियामक प्राधिकरण	138.84	58.74	197.58	179.00	166.00	345.00	179.21	157.00	336.21	214.00	130.00	344.00
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	1308.03	290.63	1598.66	1438.33	416.00	1854.33	1433.28	407.00	1840.28	1515.82	388.00	1903.82
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम												
4. इलेक्ट्रॉनिकी अभिशासन												
4.01 कार्यक्रम घटक	389.99	...	389.99	400.00	...	400.00	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00
4.02 ईएपी घटक	15.00	...	15.00	25.00	...	25.00	35.00	...	35.00	25.00	...	25.00
जोड़- इलेक्ट्रॉनिकी अभिशासन	404.99	...	404.99	425.00	...	425.00	535.00	...	535.00	525.00	...	525.00
5. जनशक्ति विकास	190.00	...	190.00	400.00	...	400.00	400.00	...	400.00	350.00	...	350.00
6. राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क	584.00	...	584.00	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	650.00	...	650.00
7. इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को प्रोत्साहन (एमएसआईपीएस, ईडीएफ और विनिर्माण क्लस्टर्स)	418.62	60.00	478.62	2601.32	30.00	2631.32	2014.00	...	2014.00	2402.99	0.01	2403.00
8. इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर के बड़े पैमाने हेतु पीएलआई	5300.00	...	5300.00
9. आईटी/आईटीईएस उद्योग को प्रोत्साहन	98.55	...	98.55	150.00	...	150.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
10. साइबर सुरक्षा परियोजनाएं	79.99	...	79.99	200.00	...	200.00	339.00	...	339.00	300.00	...	300.00
11. आईटी/इलेक्ट्रॉनिक्स/सीसीवीटी में अनुसंधान और विकास	420.91	...	420.91	700.00	...	700.00	700.00	...	700.00	598.17	...	598.17
12. प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडीआईएसएचए)	250.00	...	250.00	300.00	...	300.00	300.00	...	300.00	250.00	...	250.00
13. डिजिटल भुगतान का संवर्धन	523.48	...	523.48	1500.00	...	1500.00	1500.00	...	1500.00	200.00	...	200.00
14. चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़-डिजिटल इंडिया कार्यक्रम	2970.54	60.00	3030.54	6776.33	30.00	6806.33	6388.00	...	6388.00	10676.17	0.01	10676.18
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	2970.54	60.00	3030.54	6776.33	30.00	6806.33	6388.00	...	6388.00	10676.17	0.01	10676.18
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
15. प्रगत संगणन विकास केन्द्र (सी-डैक)	127.00	...	127.00	200.00	...	200.00	217.00	...	217.00	250.00	...	250.00
16. सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी (सी-मेट)	40.00	...	40.00	80.00	...	80.00	78.00	...	78.00	100.00	...	100.00
17. एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और रिसर्च सोसायटी (समीर)	88.00	...	88.00	120.00	...	120.00	116.00	...	116.00	150.00	...	150.00
18. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)	613.00	...	613.00	600.00	...	600.00	884.97	...	884.97	1110.00	...	1110.00
19. भाषकराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना संस्थान	20.00	...	20.00	50.00	...	50.00	48.00	...	48.00	100.00	...	100.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	888.00	...	888.00	1050.00	...	1050.00	1343.97	...	1343.97	1710.00	...	1710.00
अन्य												
20. डिजिटल इंडिया का परिधान पूर्ववर्ती मीडिया लेब एशिया	6.00	...	6.00	10.00	...	10.00	9.00	...	9.00	10.00	...	10.00
21. वास्तविक वसूलियां	-126.90	...	-126.90
जोड़-अन्य	-120.90	...	-120.90	10.00	...	10.00	9.00	...	9.00	10.00	...	10.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	767.10	...	767.10	1060.00	...	1060.00	1352.97	...	1352.97	1720.00	...	1720.00
कुल जोड़	5045.67	350.63	5396.30	9274.66	446.00	9720.66	9174.25	407.00	9581.25	13911.99	388.01	14300.00
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. उद्योग	3263.73	...	3263.73	6734.69	...	6734.69	6396.41	...	6396.41	10432.55	...	10432.55
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	1168.94	...	1168.94	1259.33	...	1259.33	1254.07	...	1254.07	1301.82	...	1301.82
3. जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	613.00	...	613.00	600.00	...	600.00	884.97	...	884.97	1110.00	...	1110.00
4. दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	...	118.74	118.74	...	196.00	196.00	...	157.00	157.00	...	130.01	130.01
5. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	231.89	231.89	...	250.00	250.00	...	250.00	250.00	...	258.00	258.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	5045.67	350.63	5396.30	8594.02	446.00	9040.02	8535.45	407.00	8942.45	12844.37	388.01	13232.38
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	680.64	...	680.64	638.80	...	638.80	1067.62	...	1067.62
जोड़-अन्य	680.64	...	680.64	638.80	...	638.80	1067.62	...	1067.62
कुल जोड़	5045.67	350.63	5396.30	9274.66	446.00	9720.66	9174.25	407.00	9581.25	13911.99	388.01	14300.00

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय की स्थापना खर्च के लिए है।

2. **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र:** राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) का एक संबद्ध कार्यालय है। यह नागरिक केंद्रित सेवाओं की प्रदायगी के लिए ई-शासन, आईसीटी अवसंरचना, अनुप्रयोग और सेवाएं प्रदान करने वाला शीर्ष वैज्ञानिक/तकनीकी संगठन है।

3.01. **मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी):** मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) निदेशालय एक संबद्ध कार्यालय है जो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उत्पादों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए उद्योग और सरकार के लिए परीक्षण, अंशोधन, प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण सेवाएं प्रदान करता है।

3.02. **साइबर सुरक्षा (सीईआरटी- इन):** आईटी अधिनियम 2000 के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार सीईआरटी-इन स्थापित किया गया है। सीईआरटी-इन साइबर घटनाओं पर सूचना के संग्रहण, विश्लेषण और प्रचार-प्रसार, सूचना सुरक्षा प्रक्रियाओं, पद्धतियों, साइबर घटनाओं की रोकथाम, अनुक्रिया और रिपोर्टिंग से संबंधित दिशा-निदेश, परामर्श निर्देश, आरक्षितता नोट और श्वेतपत्र जारी करने जैसे साइबर सुरक्षा के क्षेत्र से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

3.03. **प्रमाणन प्राधिकारियों का नियंत्रक (सीसीए) :** सीसीए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डीएससी) जारी करने के लिए प्रमाणन प्राधिकारियों (सीए) को लाइसेंस जारी करता है। सीसीए, सीए की सार्वजनिक कुंजियों का प्रमाणन करता है, सीए द्वारा बनाए रखे जाने वाले मानकों का निगरान करता है और अन्य वे प्रकाय निष्पादित करता है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 18 में शामिल किए गए हैं।

4. **इलेक्ट्रॉनिकी अभिशासन:** व्यापक रूप में ई-गवर्नेंस का उद्देश्य नागरिकों को विभिन्न विधियों के माध्यम से एकीकृत और अंतर-प्रचालनीय प्रणालियों के माध्यम से उनके इलाके में सभी प्रकार की सरकारी सेवाओं की, ऐसी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए, प्रदायगी करना है। विश्व बैंक समर्थित "इंडिया: लोक सेवाओं की ई-प्रदायगी" परियोजना इलेक्ट्रॉनिकी शासन योजना के तहत एक बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना है जिसके तहत नीतियों, मानव संसाधन, प्रौद्योगिकी, परियोजना विकास आदि के व्यापक क्षेत्रों में भारत सरकार और राज्यों/संघ राज्यों की विभिन्न ई-शासन पहल के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

5. **जनशक्ति विकास:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी उद्योग के विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। इन पहल में औपचारिक क्षेत्रों से सामने आने वाली कमियों की पहचान करना और इन कमियों को दूर करने के लिए गैर-औपचारिक और औपचारिक क्षेत्र में कार्यक्रमों की योजना बनाना, शामिल है।

6. **राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क:** इस योजना को देश भर के ज्ञान संस्थानों को कनेक्ट करने के लिए कई गीगाबिट बैंडविड्थ के साथ राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना करने के लिए शुरू किया गया है।

7. **इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को प्रोत्साहन (एमएसआईपीएस, ईडीएफ और विनिर्माण क्लस्टर):** सरकार देश में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई पहल कर रही है ताकि उद्योग के लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए समर्थकारी वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण "डिजिटल इंडिया" और "मेक इन इंडिया" कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। निवल शून्य आयात प्राप्त करने का इसका लक्ष्य इसके आशय की एक शानदार अभिव्यक्ति है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति, 2019 (एनपीई 2019) में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने हेतु देश में चिपसेट सहित प्रमुख कल-पुरजे विकसित करने और उद्योग के लिए समर्थकारी वातावरण बनाने के

लिए देश में क्षमताओं को प्रोत्साहित करके इलेक्ट्रॉनिकी सिस्टम डिजाइन एंड मैनुफैक्चरिंग (ईएसडीएम) के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में भारत को स्थापित करने की परिकल्पना की गयी है।

8. **इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर के बड़े पैमाने हेतु पीएलआई:** उत्पादन से जुड़ी दो प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और क्रमशः मोबाइल फोन और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक कल-पुरजों और आईटी हार्डवेयर में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। मोबाइल फोन और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक कल-पुरजों के लिए पीएलआई योजना के तहत, भारत में निर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष 2019-20 से अधिक) पर 6% से 3% की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और पात्र कंपनियों को लक्ष्य खंड के तहत पांच साल की अवधि तक कवर किया जाएगा। आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना के तहत, भारत में निर्मित लैपटॉप, सर्वर, टैबलेट और आल-इन-वन पीसी के लिए पात्र कंपनियों को वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष 2019-20 से अधिक) पर 4% से 2% की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और पात्र कंपनियों को लक्ष्य खंड के तहत चार साल की अवधि तक कवर किया जाएगा।

9. **आईटी/आईटीईएस उद्योग को प्रोत्साहन:** डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत देश भर में बीपीओ/आईटीईएस प्रचालनों को प्रोत्साहित करने के लिए, विशेष रूप से डिजिटल कमी वाले क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजन करने के लिए और आईटी/ आईटीईएस उद्योग के संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए, आईटी के लिए नौकरियों स्तंभ के अन्तर्गत दो योजनाओं (एनईवीपीएस और आईवीपीएस) का कार्यान्वयन शुरू किया गया है।

10. **साइबर सुरक्षा परियोजनाएं:** इस योजना का उद्देश्य सुरक्षा नीति, अनुपालन और आश्वासन, सुरक्षा, घटना-प्रारंभिक चेतावनी और अनुक्रिया, सुरक्षा प्रशिक्षण, कानूनी ढांचे और सहयोग को सक्षम बनाने के लिए कई तरह की पहल शुरू करके देश के साइबर स्पेस को सुरक्षित करने की दिशा में एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना है।

11. **आईटी/इलेक्ट्रॉनिकी/सीसीबीटी में अनुसंधान और विकास:** अनुसंधान एवं विकास का समर्थन करके उभरती हुई प्रौद्योगिकी का प्रसार और समामेलन आवश्यक अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना और वैज्ञानिक एवं तकनीकी मानव पूंजी बनाने के अलावा इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है। इन प्रयासों के परिणाम से देश में स्टार्ट-अप आधार में वृद्धि, आईपी पोर्टफोलियो में बड़ोतरी, स्वदेशी प्रौद्योगिकियों और प्रविधि के विकास तथा विनिर्माण के लिए भारतीय कंपनियों को इसके हस्तांतरण की उम्मीद है। विभाग द्वारा समर्थित केंद्रित अनुसंधान एवं विकास को इलेक्ट्रॉनिकी (इलेक्ट्रॉनिकी सिस्टम डिजाइन और अनुप्रयोग, माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक, नैनोइलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक संघटक और सामग्री प्रौद्योगिकी, चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिकी और स्वास्थ्य सूचना विज्ञान, नवाचार संवर्धन और स्टार्ट-अप, टीडीआईएल के तहत राष्ट्रीय भाषा प्रौद्योगिकी मिशन (एनएलटीएम), उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग (एचपीसी) में अनुसंधान एवं विकास के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसमें राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन; सूचना प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास (ब्लॉकचैन, क्लाउड प्रौद्योगिकी, कृत्रिम आसूचना, परसेप्टन इंजीनियरिंग और डेटा एनालिटिक्स); सीसी एंड बीटी में अनुसंधान एवं विकास (अगली पीढ़ी संचार -5जी और उससे आगे, संज्ञानात्मक और सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो और नेटवर्क, क्लाउड संचार, आईओटी, बिग डेटा एनालिटिक्स, ब्रॉडबैंड वायरलेस प्रौद्योगिकी और सामरिक इलेक्ट्रॉनिकी); और सुरक्षा विशिष्ट अनुसंधान एवं विकास शामिल हैं।

12. **प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडीआईएसएचए):** इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए, खासकर डिजिटल भुगतान के लिए कंप्यूटर या डिजिटल एक्सेस डिवाइस संचालित करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना है।

13. **डिजिटल भुगतान का संवर्धन:** हमारे देश के प्रत्येक भाग को डिजिटल भुगतान सेवाओं के औपचारिक दायरे में लाने के लिए भारत सरकार ने डिजिटल भुगतानों के प्रोत्साहन को उच्चतम प्राथमिकता दी है। भारत के सभी नागरिकों को सुविधाजनक, आसान, किरायायती त्वरित और सुरक्षित तरीके से बाधारहित डिजिटल भुगतान करने की सुविधा प्रदान करना इसका लक्ष्य है।

14. **बैंपियन सेवा क्षेत्र योजना:** इस योजना ने विकास को बढ़ावा देने, निर्यात बढ़ाने, रोजगार उत्पन्न करने, गुणवत्ता और मानकों में सुधार करने की क्षमता को साकार करने के लिए 12 बैंपियन सेवा क्षेत्रों की पहचान की है। सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं (आईटी और आईटीईएस) 12 अभिजात क्षेत्रों में से एक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नोडल मंत्रालय है।

15. **प्रगत संगणन विकास केन्द्र (सी-डैक):** सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी तथा संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्यों के लिए शीर्ष अनुसंधान एवं विकास संगठन है। इसके बेंगलूरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मोहाली, मुम्बई, नोएडा, पटना, पुणे, सिलचर तथा तिरुवनंतपुरम शहरों में 12 केन्द्र हैं। सी-डैक जिन प्रमुख क्षेत्रों में फिलहाल काम कर रहा है उनमें उच्च कार्यनिष्पादन, गिड और क्लाउड कम्प्यूटिंग (राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन सहित); बहुभाषी कम्प्यूटिंग; पेशेवर इलेक्ट्रॉनिकी; सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी; साइबर सुरक्षा और साइबर फोरेंसिक्स; स्वास्थ्य सूचना विज्ञान; और शिक्षण और प्रशिक्षण शामिल हैं।

16. **सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी (सी-मेट):** यह उच्च प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री में काम कर रही एमईआईटीवाई की एक पंजीकृत वैज्ञानिक सोसायटी है जिसमें एलटीसीसी इलेक्ट्रॉनिक पैकेजिंग, ऊर्जा भंडारण सामग्री (रिचार्जबल बैटरी, सुपर कैपेसिटर, हाइड्रोजन स्टोरेज), अक्षय ऊर्जा सामग्री (सौर सेल, हाइड्रोजन और ईंधन सेल), फोटोनिक्स के साथ एडिटिव मैनुफैक्चरिंग, क्वांटम सामग्री और नैनो सामग्री सहित 2डी सामग्री शामिल हैं। C-MET अल्ट्राप्योर इलेक्ट्रॉनिक मेटेरियल्स कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स (SiC), इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज और RoHS कंप्लायंस पर भी काम कर रहा है, साथ ही माइक्रोवेव डाइइलेक्ट्रिक्स मेटेरियल्स और पैकेजिंग, एक्झूटर्स / सेंसर्स के लिए मल्टिलेयर सेरामिक्स और बायोमेडिकल एप्लीकेशन के लिए प्लास्मोनिक मेटेरियल्स सेंसर पर भी काम कर रहा है।

17. **एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और रिसर्च सोसायटी (समीर):** यह विभाग की एक पंजीकृत वैज्ञानिक संस्था है जो माइक्रोवेव, मिलीमीटरवेव और विद्युत चुंबकत्व के उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में इन प्रौद्योगिकियों के लिए अनुप्रयोग डेवलप करने के विशेष लक्ष्य के साथ काम कर रहा है। इसके मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापत्तनम और गुवाहाटी में पांच केन्द्र हैं।

18. **भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई):** सुशासन की दृष्टि से सख्ति, लाभ और सेवाओं के कुशल, पारदर्शी और लक्षित वितरण के लिए, जिसके लिए भारत की संचित निधि/राज्यों की संचित निधि से व्यय किया जाता है, व्यवस्था करने हेतु (वित्तीय और अन्य सख्ति, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 को लागू करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की स्थापना की गई है। इसलिए, इसका उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी सेवाओं के निष्पक्ष और न्यायपूर्ण निष्पादन के माध्यम से 'सुशासन' प्रदान करना है। यह जीवन को आसान बनाने की दिशा में प्रत्येक निवासी को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है।

19. **भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना संस्थान:** यह एक स्वायत्त वैज्ञानिक सोसाइटी है, जो प्रौद्योगिकी विकास और प्रबंधन, अनुसंधान और विकास, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुविधा, क्षमता निर्माण और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहायक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और उद्यमिता विकास की सुविधा प्रदान करने के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एमईआईटीवाई के तहत पंजीकृत है।

20. **डिजिटल इंडिया कापॉरेशन पूर्ववर्ती मीडिया लैब एशिया:** यह एमईआईटीवाई के अंतर्गत धारा 8 कम्पनी के रूप में गठित की गई है, जो आम आदमी के लिए आजीविका सृजन, दिव्यांग सशक्तिकरण, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षण के क्षेत्र में आईसीटी समाधानों के लाभ पर केंद्रित रूप से कार्य करता है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

मांग संख्या 28

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	2029.84	33.09	2062.93	3014.10	122.48	3136.58	2738.14	48.51	2786.65	3170.00	115.00	3285.00
वसूलियां	-96.01	...	-96.01	-261.65	...	-261.65	-261.65	...	-261.65	-250.00	...	-250.00
प्राप्तियां	-5.00	...	-5.00	-5.00	...	-5.00	-5.00	...	-5.00
निवल	1933.83	33.09	1966.92	2747.45	122.48	2869.93	2471.49	48.51	2520.00	2915.00	115.00	3030.00
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	122.63	...	122.63	147.82	...	147.82	145.31	...	145.31	168.74	...	168.74
2. संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालय												
2.01 क्षेत्रीय कार्यालय	29.68	0.13	29.81	45.00	5.40	50.40	45.00	0.40	45.40	48.50	1.50	50.00
2.02 राष्ट्रीय वनरोपण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड	9.57	...	9.57	9.50	...	9.50	7.19	...	7.19	8.30	...	8.30
2.03 भारतीय वन सर्वेक्षण	25.53	0.24	25.77	30.00	0.58	30.58	30.83	0.15	30.98	33.50	0.50	34.00
2.04 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी	24.24	7.30	31.54	42.00	9.50	51.50	39.79	9.50	49.29	43.50	5.00	48.50
2.05 राज्य वन सेवा एवं रेंजर कॉलेज	12.12	5.16	17.28	14.50	10.00	24.50	13.44	9.45	22.89	15.50	18.00	33.50
2.06 वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो	8.32	...	8.32	11.00	...	11.00	11.50	...	11.50	12.50	...	12.50
2.07 भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण	61.63	6.12	67.75	72.00	6.00	78.00	73.00	6.00	79.00	79.00	6.00	85.00
2.08 भारतीय प्राणिशास्त्र सर्वेक्षण	59.72	6.27	65.99	67.00	15.00	82.00	70.00	11.00	81.00	78.75	9.00	87.75
2.09 राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय	11.18	2.89	14.07	12.00	7.00	19.00	12.93	7.00	19.93	15.00	7.00	22.00
2.10 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण	34.25	...	34.25	43.00	61.00	104.00	44.00	0.01	44.01	45.00	61.00	106.00
जोड़- संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालय	276.24	28.11	304.35	346.00	114.48	460.48	347.68	43.51	391.19	379.55	108.00	487.55
3. राष्ट्रीय प्राणी उद्यान												
3.01 सकल बजटीय सहायता	20.10	4.98	25.08	23.00	8.00	31.00	27.00	5.00	32.00	27.50	7.00	34.50
3.02 गेट प्राप्तियां घटाएं	-5.00	...	-5.00	-5.00	...	-5.00	-5.00	...	-5.00
निवल	20.10	4.98	25.08	18.00	8.00	26.00	22.00	5.00	27.00	22.50	7.00	29.50
4. राष्ट्रीय प्राधिकरण												
4.01 सकल बजटीय सहायता	89.31	...	89.31	261.65	...	261.65	261.65	...	261.65	250.00	...	250.00
4.02 राष्ट्रीय क्षतिपूर्ति बनीकरण निधि से प्राप्त राशि घटाएं	-89.31	...	-89.31	-261.65	...	-261.65	-261.65	...	-261.65	-250.00	...	-250.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<i>निम्न</i>
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	418.97	33.09	452.06	511.82	122.48	634.30	514.99	48.51	563.50	570.79	115.00	685.79
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
पर्यावरण ज्ञान और क्षमता निर्माण												
5. वानिकी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण												
5.01 कार्यक्रम घटक	1.96	...	1.96	10.00	...	10.00	5.00	...	5.00	8.62	...	8.62
5.02 ईएपी घटक
जोड़- वानिकी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	1.96	...	1.96	10.00	...	10.00	5.00	...	5.00	8.62	...	8.62
6. पारिस्थितिकी कार्य बल	38.00	...	38.00	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00	70.00	...	70.00
जोड़-पर्यावरण ज्ञान और क्षमता निर्माण	39.96	...	39.96	70.00	...	70.00	65.00	...	65.00	78.62	...	78.62
राष्ट्रीय तटीय प्रबन्धन कार्यक्रम												
7. राष्ट्रीय तटीय मिशन (एनसीएम)												
7.01 कार्यक्रम घटक	7.34	...	7.34	50.00	...	50.00	30.90	...	30.90	25.00	...	25.00
7.02 ईएपी घटक	61.00	...	61.00	150.00	...	150.00	70.00	...	70.00	170.00	...	170.00
जोड़- राष्ट्रीय तटीय मिशन (एनसीएम)	68.34	...	68.34	200.00	...	200.00	100.90	...	100.90	195.00	...	195.00
पर्यावरण संरक्षण, प्रबन्धन और धारणीय विकास												
8. प्रदूषण उपशमन	5.45	...	5.45
9. घातक पदार्थों का प्रबंधन (एचएसएम)												
9.01 कार्यक्रम घटक	3.30	...	3.30	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	4.50	...	4.50
9.02 ईएपी घटक
जोड़- घातक पदार्थों का प्रबंधन (एचएसएम)	3.30	...	3.30	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	4.50	...	4.50
10. जलवायु परिवर्तन कार्रवाई योजना	20.40	...	20.40	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00
11. राष्ट्रीय अनुकूलन कोष	43.08	...	43.08	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00
12. हिमालय अध्ययन पर राष्ट्रीय मिशन	29.45	...	29.45	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	48.00	...	48.00
जोड़-पर्यावरण संरक्षण, प्रबन्धन और धारणीय विकास	101.68	...	101.68	136.00	...	136.00	136.00	...	136.00	142.50	...	142.50
पर्यावरण जागरूकता, नीति, आयोजना और परिणाम मूल्यांकन हेतु निर्णय सहायक प्रणाली												
13. पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण	49.62	...	49.62	77.13	...	77.13	72.73	...	72.73	58.70	...	58.70
14. पर्यावरण सूचना प्रणाली (ईएनवीआईएस)	19.39	...	19.39	35.00	...	35.00	30.27	...	30.27	23.50	...	23.50
15. उत्कृष्टता केन्द्र	4.81	...	4.81
16. संरक्षण और विकास के लिए अनुसंधान और विकास	2.58	...	2.58	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	4.75	...	4.75
जोड़-पर्यावरण जागरूकता, नीति, आयोजना और परिणाम मूल्यांकन हेतु निर्णय सहायक प्रणाली	76.40	...	76.40	117.13	...	117.13	108.00	...	108.00	86.95	...	86.95
17. प्रदूषण नियंत्रण	267.41	...	267.41	470.00	...	470.00	390.10	...	390.10	460.00	...	460.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	553.79	...	553.79	993.13	...	993.13	800.00	...	800.00	963.07	...	963.07
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामक निकाय												

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
18. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	99.50	...	99.50	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00
19. केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण	7.19	...	7.19	11.00	...	11.00	11.00	...	11.00	10.00	...	10.00
20. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण	10.80	...	10.80	19.50	...	19.50	19.50	...	19.50	17.50	...	17.50
21. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण	7.40	...	7.40	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
22. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	17.00	...	17.00
जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय	124.89	...	124.89	160.50	...	160.50	160.50	...	160.50	154.50	...	154.50
स्वायत्त निकाय												
23. जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण और विकास संस्थान	16.70	...	16.70	24.00	...	24.00	24.00	...	24.00	22.00	...	22.00
24. भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद	218.03	...	218.03	220.00	...	220.00	230.00	...	230.00	210.00	...	210.00
25. भारतीय वन प्रबंधन संस्थान	23.50	...	23.50	27.75	...	27.75	27.75	...	27.75	25.00	...	25.00
26. भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान	10.25	...	10.25	8.25	...	8.25	8.25	...	8.25	7.45	...	7.45
27. भारतीय वन्यजीव संस्थान	22.00	...	22.00	25.50	...	25.50	25.50	...	25.50	23.00	...	23.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	290.48	...	290.48	305.50	...	305.50	315.50	...	315.50	287.45	...	287.45
अन्य												
28. सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र (एसएसीओएन)	10.50	...	10.50	10.50	...	10.50	9.00	...	9.00
29. वास्तविक वसूलियां	-6.70	...	-6.70
जोड़-अन्य	-6.70	...	-6.70	10.50	...	10.50	10.50	...	10.50	9.00	...	9.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	408.67	...	408.67	476.50	...	476.50	486.50	...	486.50	450.95	...	450.95
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
पर्यावरण, वानिकी और वन्य जीव												
30. हरित भारत संबंधित राष्ट्रीय मिशन												
30.01 हरित भारत मिशन- राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम	157.62	...	157.62	235.00	...	235.00	205.00	...	205.00	300.00	...	300.00
30.02 ग्रीन इंडिया मिशन-राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (ईएपी घटक)	0.42	...	0.42	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	17.50	...	17.50
30.03 वन की आग की रोकथाम और प्रबंधन	32.86	...	32.86	40.00	...	40.00	35.00	...	35.00	44.19	...	44.19
जोड़- हरित भारत संबंधित राष्ट्रीय मिशन	190.90	...	190.90	290.00	...	290.00	255.00	...	255.00	361.69	...	361.69
31. वन्यजीव वास स्थानों का समेकित विकास												
31.01 बाघ परियोजना	194.70	...	194.70	250.00	...	250.00	220.00	...	220.00	300.00	...	300.00
31.02 हाथी परियोजना	24.95	...	24.95	33.00	...	33.00	32.00	...	32.00	35.00	...	35.00
31.03 वन्य जीव पर्यावासों का विकास	89.56	...	89.56	116.00	...	116.00	96.00	...	96.00	132.50	...	132.50
31.04 वन्यजीव का पर्यावास विकास (ईएपी घटक)	10.00	...	10.00	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	42.50	...	42.50
जोड़- वन्यजीव वास स्थानों का समेकित विकास	319.21	...	319.21	414.00	...	414.00	363.00	...	363.00	510.00	...	510.00
32. प्राकृतिक संसाधनों तथा पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण												

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
32.01 जैव विविधता संरक्षण	7.93	...	7.93	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00	8.50	...	8.50
32.02 जलीय पारिस्थितिकी का संरक्षण	32.86	...	32.86	48.40	...	48.40	38.40	...	38.40	48.40	...	48.40
32.03 जलीय पारिस्थितिकी का संरक्षण (ईएपी घटक)	1.50	...	1.50	1.60	...	1.60	1.60	...	1.60	1.60	...	1.60
जोड़- प्राकृतिक संसाधनों तथा पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण	42.29	...	42.29	62.00	...	62.00	52.00	...	52.00	58.50	...	58.50
जोड़-पर्यावरण, वानिकी और वन्य जीव	552.40	...	552.40	766.00	...	766.00	670.00	...	670.00	930.19	...	930.19
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	552.40	...	552.40	766.00	...	766.00	670.00	...	670.00	930.19	...	930.19
कुल जोड़	1933.83	33.09	1966.92	2747.45	122.48	2869.93	2471.49	48.51	2520.00	2915.00	115.00	3030.00
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. वानिकी और वन्य जीवन	475.45	...	475.45	586.50	...	586.50	591.08	...	591.08	594.00	...	594.00
2. पारिस्थितिकी और पर्यावरण	803.52	...	803.52	1235.58	...	1235.58	1066.43	...	1066.43	1215.75	...	1215.75
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	122.63	...	122.63	147.82	...	147.82	145.31	...	145.31	168.74	...	168.74
4. वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजी परिव्यय	...	17.81	17.81	...	33.48	33.48	...	24.50	24.50	...	32.00	32.00
5. अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	...	15.28	15.28	...	89.00	89.00	...	24.01	24.01	...	83.00	83.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	1401.60	33.09	1434.69	1969.90	122.48	2092.38	1802.82	48.51	1851.33	1978.49	115.00	2093.49
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	179.00	...	179.00	147.00	...	147.00	193.00	...	193.00
7. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	532.23	...	532.23	594.90	...	594.90	520.57	...	520.57	742.06	...	742.06
8. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3.65	...	3.65	1.10	...	1.10	1.45	...	1.45
जोड़-अन्य	532.23	...	532.23	777.55	...	777.55	668.67	...	668.67	936.51	...	936.51
कुल जोड़	1933.83	33.09	1966.92	2747.45	122.48	2869.93	2471.49	48.51	2520.00	2915.00	115.00	3030.00

1 - 4. केन्द्र का स्थापना व्यय: यह प्रावधान राष्ट्रीय प्राणी उद्यान एवं राष्ट्रीय प्राधिकरण सहित सचिवालय व्यय एवं सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के लिए है। अन्य स्थापना संबंधी व्यय प्रावधानों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सूचना प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रभाव आकलन, मीडिया, प्रचार और सूचना के प्रावधान भी शामिल हैं।

5 और 6. पर्यावरणीय ज्ञान और क्षमता निर्माण - अम्ब्रेला सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम की दो उप-स्कीमें - (i) वानिकी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण (ii) इको टास्क फोर्स हैं। योजना 'वानिकी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण' का लक्ष्य वानिकी क्षेत्र के कर्मियों के प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर की पूरी जरूरत को कवर करना है। इको टास्क योजना गंभीर अवक्रमण या दूरवर्ती अवस्थिति की वजह से खराब हो गए भू-भाग की पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना करने के लिए रक्षा मंत्रालय के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

7. राष्ट्रीय तट प्रबंधन कार्यक्रम : मंत्रालय का उत्तरदायित्व मछुआरों सहित तटीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा; तटीय भागों का संरक्षण, सुरक्षा करना और वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर वहनीय विकास को बढ़ावा देना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में संरक्षण, सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए भी मंत्रालय उत्तरदायी है। तटीय राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में विश्व बैंक की सहायता से एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन परियोजना भी क्रियान्वित की जा रही है।

8-12. पर्यावरण-संरक्षण, प्रबंधन और वहनीय विकास : अम्ब्रेला स्कीम स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के विकास और औद्योगिक संयंत्रों में प्रदूषण का उपशमन करने में भी सहायता देती है। जलवायु परिवर्तन के खतरे की बढ़ती मान्यता और घरेलू नीति निर्माण एवं नियोजन के क्षेत्र के रूप में इसके महत्व को इस अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत पहचान मिली है, जिसके अंतर्गत प्रदूषण उपशमन के कार्यक्रमों/परियोजनाओं, खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि और राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन मिशन को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

13 - 16 पर्यावरण के प्रति जागरूकता, नीति, नियोजन और निष्कर्ष मूल्यांकन के लिए निर्णय सहायता प्रणाली : स्कीम प्रदर्शनियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता लाती है और पर्यावरण संबंधी शिक्षा प्रदान करती है। अन्य उद्देश्यों में पर्यावरण से जुड़ी सूचना का संग्रह, बड़े हितधारकों को सूचना का संप्रेषण और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन शामिल हैं। पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए प्रावधानों में स्वच्छता कार्य योजना के प्रावधान शामिल हैं।

17. **प्रदूषण नियंत्रण:** प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण की अवधारणा रखी गई है जिसमें राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) को वित्तपोषण शामिल है।

18 - 21. सांविधिक और विनियामक निकाय : मंत्रालय में चार निकाय हैं - केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण (सीजेडए), राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (एनबीए) और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए)।

22. **वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग:** वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग: एक नवगठित सांविधिक और विनियामक निकाय। यह आयोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके जुड़े क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु कार्य करता है।

23- 27. स्वायत्त निकाय : मंत्रालय अनुसंधान और विकास कार्यों में लगे विभिन्न स्वायत्त निकायों/संस्थानों, नामतः भारतीय वानिकी प्रबंधन संस्थान (आईआईएफएम), भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई), भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (आईपीआईआरटीआई), भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यू आईआई), जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण और वहनीय विकास संस्थान (जीबीपीएनआईएचईएसडी) को सहायता देता है।

28. **सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र (एसएसीओएन):** सलीम अली पक्षी विज्ञान और राष्ट्रीय इतिहास केंद्र (एसएसीओएन): पक्षी विज्ञान पर ध्यान केन्द्रित करते हुए प्राकृतिक इतिहास के समूचे क्षेत्र को शामिल करने हेतु एक पंजीकृत सोसाइटी।

30. **हरित भारत संबंधित राष्ट्रीय मिशन:** वन क्षेत्र में वृद्धि करने और मौजूदा वन भूमि की सुरक्षा के लिए मंत्रालय की दो योजनागत स्कीमें हैं, नामतः हरित भारत मिशन -राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम और वन अग्नि निवारण प्रबंधन। वन प्रबंधन योजना की गहनता का नाम 2018-19 में वन अग्नि निवारण प्रबंधन में बदल दिया गया है।

31. **वन्यजीव वास स्थानों का समेकित विकास:** देश के वन्यजीवों के संरक्षण के लिए मंत्रालय की तीन मुख्य स्कीमें हैं; नामतः व्याघ्र परियोजना, हाथी परियोजना और वन्यजीव पर्यावासों का विकास।

32. **प्राकृतिक संसाधनों तथा पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण:** देश के प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी-प्रणाली के संरक्षण के लिए मंत्रालय जैव-क्षेत्रों, नमभूमि और झील जैसे क्षेत्रों में प्रयास करता रहा है।

विदेश मंत्रालय

मांग संख्या 29

विदेश मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	13223.35	1142.49	14365.84	16663.98	1490.75	18154.73	14919.41	1080.59	16000.00	15838.77	1416.23	17255.00
<i>वसूलियां</i>	-33.17	-3.44	-36.61	-5.00	...	-5.00
<i>प्राप्तियां</i>
निवल	13190.18	1139.05	14329.23	16663.98	1490.75	18154.73	14919.41	1080.59	16000.00	15833.77	1416.23	17250.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	396.91	...	396.91	522.85	...	522.85	489.73	...	489.73	541.79	...	541.79
2. राजदूतावास एवं मिशन	2797.16	...	2797.16	3240.07	...	3240.07	3397.99	...	3397.99	3769.06	...	3769.06
3. पासपोर्ट एवं उत्पवासन	936.61	...	936.61	1328.63	...	1328.63	1056.28	...	1056.28	996.67	...	996.67
4. विदेश में महिलाओं के कल्याण के लिए योजना												
4.01 वन स्टाप सेंटर (निर्भया निधि से वित्त-पोषित)	5.00	...	5.00
4.02 निर्भया निधि से पूरी की गई धनराशि	-5.00	...	-5.00
<i>निवल</i>
5. मंत्रालय के अन्य व्यय	112.08	603.34	715.42	156.14	610.00	766.14	86.95	600.00	686.95	144.22	710.00	854.22
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	4242.76	603.34	4846.10	5247.69	610.00	5857.69	5030.95	600.00	5630.95	5451.74	710.00	6161.74
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों/परियोजनाएं												
देशों को सहायता												
6. भूटान	1558.52	539.15	2097.67	2124.20	880.75	3004.95	1274.64	480.59	1755.23	1560.01	706.23	2266.24
7. अफगानिस्तान	348.82	...	348.82	350.00	...	350.00	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00
8. बांग्लादेश	177.98	...	177.98	200.00	...	200.00	300.00	...	300.00	300.00	...	300.00
9. नेपाल	879.10	...	879.10	992.00	...	992.00	650.00	...	650.00	750.00	...	750.00
10. श्रीलंका	44.81	...	44.81	200.00	...	200.00	50.00	...	50.00	200.00	...	200.00
11. मालदीव	160.20	...	160.20	250.00	...	250.00	260.00	...	260.00	360.00	...	360.00
12. म्यानमार	347.06	...	347.06	400.00	...	400.00	600.00	...	600.00	600.00	...	600.00
13. मंगोलिया	0.48	...	0.48	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	12.00	...	12.00
14. अफ्रीकी देश	226.28	...	226.28	300.00	...	300.00	200.00	...	200.00	250.00	...	250.00

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
15. यूरेशियाई देश	45.42	...	45.42	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	140.00	...	140.00
16. लैटिन अमरीकी देश	11.77	...	11.77	40.00	...	40.00	55.00	...	55.00	40.00	...	40.00
17. अन्य विकासशील देश	117.13	...	117.13	130.00	...	130.00	90.00	...	90.00	150.00	...	150.00
18. आपदा राहत	6.87	...	6.87	20.00	...	20.00	5.00	...	5.00	10.00	...	10.00
19. चाबहार पत्तन	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00
20. मॉरीशस	652.06	...	652.06	900.00	...	900.00	900.00	...	900.00	900.00	...	900.00
21. सेथेल्स	90.29	...	90.29	160.00	...	160.00	20.00	...	20.00	14.06	...	14.06
जोड़-देशों को सहायता	4666.79	539.15	5205.94	6268.20	880.75	7148.95	4806.64	480.59	5287.23	5586.07	706.23	6292.30
22. अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण/कार्यक्रमों को सहायता	386.57	...	386.57	476.20	...	476.20	401.20	...	401.20	447.70	...	447.70
23. संस्कृति और विरासत परियोजना हेतु सहायता	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	5053.36	539.15	5592.51	6754.40	880.75	7635.15	5217.84	480.59	5698.43	6043.77	706.23	6750.00
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
24. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर)	217.50	...	217.50	300.00	...	300.00	239.74	...	239.74	320.00	...	320.00
25. अन्य स्वशासी निकायों को सहायता	24.79	...	24.79	33.14	...	33.14	43.41	...	43.41	34.90	...	34.90
जोड़-स्वायत्त निकाय	242.29	...	242.29	333.14	...	333.14	283.15	...	283.15	354.90	...	354.90
अन्य												
26. विशेष कूटनीतिक खर्च	2600.39	...	2600.39	3000.01	...	3000.01	3240.01	...	3240.01	3100.01	...	3100.01
27. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	584.15	...	584.15	565.97	...	565.97	679.86	...	679.86	518.86	...	518.86
28. नालंदा विश्वविद्यालय	200.00	...	200.00	250.00	...	250.00	350.00	...	350.00	200.00	...	200.00
29. दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय	61.28	...	61.28	314.00	...	314.00	94.00	...	94.00	128.00	...	128.00
30. वीवीआईपी यात्राओं के लिए एयर इंडिया के वायुयानों की रखरखाव लागत	230.81	...	230.81	150.00	...	150.00
31. सीमाओं का रेखांकन	0.27	...	0.27	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
32. प्रवासी भारतीय दिवस महोत्सव	20.00	...	20.00	5.00	...	5.00	10.00	...	10.00
33. विदेशी तीर्थयात्राओं के संबंधित व्यय	0.02	...	0.02	1.00	...	1.00	0.13	...	0.13	1.00	...	1.00
34. विनिमय द्वारा हानि	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
35. प्रशिक्षण	8.02	...	8.02	25.76	...	25.76	16.46	...	16.46	23.48	...	23.48
36. वास्तविक वसूलियां	-33.17	-3.44	-36.61
जोड़-अन्य	3651.77	-3.44	3648.33	4328.75	...	4328.75	4387.47	...	4387.47	3983.36	...	3983.36
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	3894.06	-3.44	3890.62	4661.89	...	4661.89	4670.62	...	4670.62	4338.26	...	4338.26
कुल जोड़	13190.18	1139.05	14329.23	16663.98	1490.75	18154.73	14919.41	1080.59	16000.00	15833.77	1416.23	17250.00
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	392.78	...	392.78	522.85	...	522.85	489.73	...	489.73	541.79	...	541.79

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
2. विदेशी मामले	7751.76	...	7751.76	9386.72	...	9386.72	9211.83	...	9211.83	9248.20	...	9248.20
3. विविध सामान्य सेवाएं	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
4. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	254.80	254.80	...	260.00	260.00	...	310.00	310.00	...	410.00	410.00
जोड़-सामान्य सेवाएं	8144.54	254.80	8399.34	9909.58	260.00	10169.58	9701.57	310.00	10011.57	9790.00	410.00	10200.00
सामाजिक सेवाएं												
5. आवास पर पूंजीगत परिव्यय	...	345.10	345.10	...	350.00	350.00	...	290.00	290.00	...	300.00	300.00
जोड़-सामाजिक सेवाएं	...	345.10	345.10	...	350.00	350.00	...	290.00	290.00	...	300.00	300.00
अन्य												
6. अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	5045.64	...	5045.64	6754.40	...	6754.40	5217.84	...	5217.84	6043.77	...	6043.77
7. विदेशी सरकारों को अग्रिम	...	539.15	539.15	...	880.75	880.75	...	480.59	480.59	...	706.23	706.23
जोड़-अन्य	5045.64	539.15	5584.79	6754.40	880.75	7635.15	5217.84	480.59	5698.43	6043.77	706.23	6750.00
कुल जोड़	13190.18	1139.05	14329.23	16663.98	1490.75	18154.73	14919.41	1080.59	16000.00	15833.77	1416.23	17250.00

1. **सचिवालय:** यह विदेश मंत्रालय सचिवालय, मुख्यालयों में लोक राजनय, स्टेट सुविधा एवं जानकारी सहायता, छात्रावास और आवासीय परिसर के संबंध में व्यय की व्यवस्था करता है।

2. **राजदूतावास एवं मिशन:** यह विदेशों में मिशनों/केंद्रों में भारतीय प्रतिनिधित्व के लिए व्यय की व्यवस्था करता है।

3. **पासपोर्ट एवं उत्खवासन:** यह पासपोर्ट कार्यालयों, यात्रा दस्तावेजों की छपाई, पासपोर्ट आवेदनों और फाइलों की स्कैनिंग, पासपोर्ट प्रिंटरों की लीज, पासपोर्ट प्रिंटरों की खरीद, पासपोर्ट कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण, केंद्रीय अधिनियमों के प्रशासन, उत्खवासियों के महासंरक्षक के लिए राज्य सरकारों और संघशासित क्षेत्रों को भुगतान, भारत को जानिए कार्यक्रम, विदेशों में रहने वाले भारतीयों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना, विदेशों में रहने वाले भारतीयों के साथ सांस्कृतिक संबंधों के संवर्धन इत्यादि के संबंध में व्यय की व्यवस्था करता है।

4. **विदेश में महिलाओं के कल्याण के लिए योजना:** विदेश में समस्या का सामना कर रही महिलाओं को निर्भया निधि से वित्तीय/चिकित्सा/कानूनी सहायता प्रदान करना।

5. **मंत्रालय के अन्य व्यय:** यह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, गण्यमान्य व्यक्तियों के मनोरंजन, कलाकृतियों की खरीद, विदेशों में फंसे भारतीयों को भारत वापस भेजने, युद्ध/तामरिक उपद्रव के कारण भारतीयों को निकालने, विदेशों में उच्चस्तरीय दौरों, लोक निर्माण कार्य एवं हाउसिंग के संबंध में पूंजीगत परिव्यय, स्वर्णप्रवास योजना इत्यादि के संबंध में व्यय की व्यवस्था करता है।

6 - 23. देशों को सहायता, अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को सहायता: यह प्रावधान आस-पड़ोस के देशों और अन्य विकासशील देशों को भारत की बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय सहायता और सहयोग कार्यक्रमों के लिए है। यह सहायता भारत की सीमाओं से लगे देशों और अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और लैटिन अमरीका के देशों को भी मुहैया कराई जाती है। इसके अंतर्गत आपदा राहत और लोकोपकारी सहायता के लिए भी व्यय की व्यवस्था की जाती है। इस प्रावधान में भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान को वित्तीय सहायता भी शामिल है।

24 और 25. स्वायत्त निकाय: इसमें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर), भारतीय विश्व कार्य परिषद (आईसीडब्ल्यूए) और गुट-निरपेक्ष एवं अन्य विकासशील देशों के लिए अनुसंधान, सूचना प्रणाली सोसायटी (आरआईएस) एवं प्रवास के लिए भारत केंद्र के लिए सहायता अनुदान-वेतन तथा सहायता अनुदान-सामान्य के लिए व्यय की व्यवस्था की गई है।

26-35. अन्य केंद्रीय क्षेत्र व्यय (अन्य): इसके अंतर्गत विवेकाधीन व्यय, राष्ट्रमंडल सचिवालय, अंतरराष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, सार्क सचिवालय, दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय और नालन्दा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए व्यय की व्यवस्था की गई है। यह अति-अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की यात्रा के लिए एयर इंडिया के विमान की रख-रखाव लागत, सीमाओं के सीमांकन के लिए भी व्यय की व्यवस्था करता है। इससे प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन, कैलाश मानसरोवर यात्रा, भारतीय अंतरराष्ट्रीय विधि सोसायटी, चीनी अध्ययन संस्थान की सहायता, भूमि कल्याण अध्ययन केंद्र, यूएन शांति स्थापना केंद्र और विदेश सेवा संस्थान संबंधी व्यय के लिए भी व्यय की व्यवस्था की जाती है।

वित्त मंत्रालय
मांग संख्या 30
आर्थिक कार्य विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
कुल	6062.91	20792.78	26855.69	4649.12	94900.41	99549.53	5718.97	49449.86	55168.83	6736.88	13189.92	19926.80	
वसूलियां	-0.09	-5721.24	-5721.33	...	-6518.00	-6518.00	...	-5407.61	-5407.61	...	-3518.00	-3518.00	
प्राप्तियां	-649.02	-7226.81	-7875.83	-128.34	-31775.01	-31903.35	-628.45	-33516.67	-34145.12	-593.52	-1275.02	-1868.54	
निवल	5413.80	7844.73	13258.53	4520.78	56607.40	61128.18	5090.52	10525.58	15616.10	6143.36	8396.90	14540.26	
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
1. सचिवालय													
1.01	आर्थिक कार्य विभाग	121.28	...	121.28	156.59	...	156.59	176.32	...	176.32	211.28	...	211.28
2. संबद्ध कार्यालय													
2.01	दूतावास, बॉशिंगटन, बीजिंग, टोक्यो आदि के आर्थिक विंग	13.06	...	13.06	18.29	...	18.29	23.38	...	23.38	19.42	...	19.42
2.02	वायदा बाजार आयोग	0.18	...	0.18	0.34	...	0.34	0.19	...	0.19	0.30	...	0.30
2.03	प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण	6.15	...	6.15	20.84	...	20.84	15.71	...	15.71	17.39	...	17.39
2.04	पंद्रहवां वित्त आयोग	15.00	...	15.00
जोड़- संबद्ध कार्यालय													
34.39		...	34.39	39.47	...	39.47	39.28	...	39.28	37.11	...	37.11	
3. वास्तविक वसूलियां													
-0.08		...	-0.08	
155.59		...	155.59	196.06	...	196.06	215.60	...	215.60	248.39	...	248.39	
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय													
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम/परियोजनाएं													
4. राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ)													
4.01	राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण	...	2000.00	2000.00	...	2500.00	2500.00	...	2500.00	2500.00
4.02	सकल बजटीय सहायता	2.99	3567.45	3570.44	3.00	5000.01	5003.01	1.67	5000.01	5001.68	3.00	5000.01	5003.01
4.03	राष्ट्रीय निवेश निधि से प्राप्त राशि	...	-2000.00	-2000.00	...	-2500.00	-2500.00	...	-2500.00	-2500.00
<i>निवल</i>													
2.99		3567.45	3570.44	3.00	5000.01	5003.01	1.67	5000.01	5001.68	3.00	5000.01	5003.01	
5. अर्थक्षमता अंतर निधियन													
23.76		...	23.76	240.00	10.00	250.00	130.00	10.00	140.00	400.00	100.00	500.00	
ब्याज समकरण सहायता													
6. भारतीय कंपनी													
208.59		...	208.59	225.00	...	225.00	203.00	...	203.00	
7. एक्जिम बैंक													
2397.49		...	2397.49	1776.01	...	1776.01	1100.00	...	1100.00	

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
8. भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएएस) के अंतर्गत ऋण सीमा	1300.00	...	1300.00
जोड़-ब्याज समकरण सहायता	2606.08	...	2606.08	2001.01	...	2001.01	1303.00	...	1303.00	1300.00	...	1300.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	2632.83	3567.45	6200.28	2244.01	5010.01	7254.02	1434.67	5010.01	6444.68	1703.00	5100.01	6803.01
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
अन्य												
अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय अंशदान												
9. आईएमएफ दिल्ली के किराया लागत में अंशदान	0.25	...	0.25	0.28	...	0.28	0.28	...	0.28	0.28	...	0.28
10. अंतरराष्ट्रीय बचत बैंक संस्थान को अंशदान	0.09	...	0.09	0.10	...	0.10
11. अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी)	95.89	...	95.89	125.80	...	125.80	125.80	...	125.80	120.00	...	120.00
12. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं:	87.10	...	87.10	117.77	...	117.77	118.39	...	118.39	103.24	...	103.24
13. एएफडीएफ के एमडीआरआई को अंशदान												
13.01 सकल बजटीय सहायता	3.54	...	3.54	4.18	...	4.18	4.18	...	4.18	4.32	...	4.32
13.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि	-3.54	...	-3.54	-4.18	...	-4.18	-4.18	...	-4.18	-4.32	...	-4.32
<i>निवल</i>
14. आईडीए को अंशदान												
14.01 सकल बजटीय सहायता	500.00	...	500.00	0.01	...	0.01	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00
14.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि	-500.00	...	-500.00	-0.01	...	-0.01	-500.00	...	-500.00	-500.00	...	-500.00
<i>निवल</i>
15. अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग: (अंतरराष्ट्रीय अंशदान)	61.96	...	61.96	62.85	...	62.85	62.95	...	62.95	62.82	...	62.82
16. एशियाई विकास निधि में अंशदान												
16.01 सकल बजटीय सहायता	0.01	...	0.01
16.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि	-0.01	...	-0.01
<i>निवल</i>
17. एशियाई विकास निधि में अंशदान-12												
17.01 सकल बजटीय सहायता	75.60	...	75.60
17.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि	-75.60	...	-75.60
<i>निवल</i>
18. एशियाई विकास निधि में अंशदान-13												
18.01 सकल बजटीय सहायता	89.15	...	89.15	89.20	...	89.20	89.20	...	89.20
18.02 घटाएं-प्रतिभूतियों के निर्गमन के माध्यम से पूर्ति	-89.15	...	-89.15	-89.20	...	-89.20	-89.20	...	-89.20
<i>निवल</i>
19. एएफडीएफ के लिए अंशदान												
19.01 सकल बजटीय सहायता	69.88	...	69.88	34.99	...	34.99	35.07	...	35.07
19.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि	-69.88	...	-69.88	-34.99	...	-34.99	-35.07	...	-35.07

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<i>निवल</i>
20. क्लाइमेट एक्शन पियर (सीएपीई) को योगदान	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
21. एसईईटीएफ के लिए अंशदान	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़-अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय अंशदान	245.29	...	245.29	306.82	...	306.82	307.44	...	307.44	286.36	...	286.36
22. उधार के लिए नई व्यवस्था:												
22.01 सकल बजट	1000.00	1000.00	...	100.00	100.00	...	0.01	0.01
22.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि	-1000.00	-1000.00	...	-100.00	-100.00	...	-0.01	-0.01
<i>निवल</i>
23. मुद्रा, सिक्का निर्माण और टकसाल												
23.01 एसपीएमसीआईएल से सिक्कों की खरीद	...	1365.85	1365.85	...	1518.00	1518.00	...	1007.61	1007.61	...	1518.00	1518.00
23.02 घटाएं वसूलियां	...	-1365.85	-1365.85	...	-1518.00	-1518.00	...	-1007.61	-1007.61	...	-1518.00	-1518.00
<i>निवल</i>
24. आरक्षित निधि												
24.01 गारंटी मोचन निधि	1600.00	...	1600.00	600.00	...	600.00	939.07	...	939.07	1000.00	...	1000.00
24.02 गोल्ड आरक्षित फंड	677.11	...	677.11	997.50	...	997.50	2000.01	...	2000.01	2498.00	...	2498.00
जोड़- आरक्षित निधि	2277.11	...	2277.11	1597.50	...	1597.50	2939.08	...	2939.08	3498.00	...	3498.00
25. अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग												
25.01 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/बैठक हेतु व्यय (ब्रिक्स/सार्क/इंटरनेशनल करप्शन हंटर्स एलायंस/न्यू डेवलपमेंट बैंक और जीआईजेड के लिए सेवा कर)	31.60	...	31.60	25.69	...	25.69	20.06	...	20.06	20.18	...	20.18
26. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश												
26.01 आईएफआई में निवेश	...	10385.01	10385.01	...	4495.61	4495.61	...	7042.34	7042.34	...	1740.69	1740.69
26.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि (एडीबी/एफ, एएफडीबी/एफ, आईएमएफ)	...	-7122.33	-7122.33	...	-1000.01	-1000.01	...	-3641.67	-3641.67	...	-1000.01	-1000.01
<i>निवल</i>	...	3262.68	3262.68	...	3495.60	3495.60	...	3400.67	3400.67	...	740.68	740.68
27. अन्य व्यय:												
27.01 कालातीत मामलों में केन्द्रीय प्रतिभूतियों पर ब्याज भुगतान और सरकारी खाते में जमा हुई अदावी प्रतिभूतियों के संबंध में भुगतान।	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03
27.02 संरक्षित बचत योजनाएं	0.10	...	0.10	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03
27.03 आईएमएफ को देय मूल्यांकन प्रभार	0.64	...	0.64
27.04 अन्य सामान्य आर्थिक सेवा के अंतर्गत अन्य व्यय	27.03	...	27.03	68.46	...	68.46	107.03	...	107.03	241.54	...	241.54
27.05 नई योजनाएं	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
27.06 भारत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड (आईआईपीडीएफ)	0.75	...	0.75	0.75	...	0.75	50.00	...	50.00
27.07 गोल्ड मुद्राकरण योजना 2015 के लिए कमीशन	31.94	...	31.94	65.00	...	65.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
जोड़- अन्य व्यय:	59.10	...	59.10	134.88	0.01	134.89	157.84	0.01	157.85	341.60	0.01	341.61

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
28. केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/संस्थानों में कौशल निर्माण प्रशिक्षण	30.00	...	30.00
29. सरकारी कर्मचारी आदि को ऋण												
29.01 गृह निर्माण अग्रिम	...	97.95	97.95	...	175.00	175.00	...	175.00	175.00	...	175.00	175.00
29.02 मोटर वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	...	0.04	0.04	...	0.24	0.24	...	0.24	0.24	...	0.24	0.24
29.03 कंप्यूटर की खरीद के लिए अग्रिम	...	48.30	48.30	...	74.76	74.76	...	74.76	74.76	...	74.76	74.76
29.04 घटाएं प्राप्तियां	...	-104.48	-104.48	...	-275.00	-275.00	...	-275.00	-275.00	...	-275.00	-275.00
<i>निवल</i>	...	41.81	41.81	...	-25.00	-25.00	...	-25.00	-25.00	...	-25.00	-25.00
30. लघु बचत योजनाएं	12.29	...	12.29	15.82	...	15.82	15.83	...	15.83	15.83	...	15.83
	-0.01	...	-0.01
<i>निवल</i>	12.28	...	12.28	15.82	...	15.82	15.83	...	15.83	15.83	...	15.83
31. बजट के लिए मशीनों की खरीद	3.00	3.00
32. आवास संबंधी पूंजी परिव्यय	...	0.17	0.17	...	20.00	20.00	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
33. अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक लिए ब्रिज लोन	...	54.43	54.43	...	55.46	55.46	...	56.20	56.20
34. स्वर्ण मुद्राकरण योजना												
34.01 स्वर्ण जमा	...	1273.89	1273.89	...	2500.00	2500.00	...	1900.00	1900.00	...	2000.00	2000.00
34.02 घटाएं वसूतियां	...	-2355.39	-2355.39	...	-2500.00	-2500.00	...	-1900.00	-1900.00	...	-2000.00	-2000.00
<i>निवल</i>	...	-1081.50	-1081.50
35. इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड द्वारा एडीबी एवं केएफडब्ल्यू को ऋण की चुकौती	...	35.35	35.35	...	34.34	34.34	...	34.34	34.34	...	31.17	31.17
36. रियायती साझेदार ऋण (सीपीएल)	...	49.07	49.07	...	49.34	49.34	...	49.34	49.34	...	50.02	50.02
37. मध्यम आय समूह के लिए किरायायती आवासन	...	915.27	915.27	...	2250.00	2250.00	...	1000.00	1000.00	...	1500.00	1500.00
38. अवसंरचना योजना के लिए सहायता	44714.64	44714.64
39. एनआईआईएफ अवसंरचना ऋण वित्तीय आधार में पूंजी समावेशन	...	1000.00	1000.00	...	1000.00	1000.00	...	1000.00	1000.00	...	1000.00	1000.00
40. आकस्मिकता निधि में अंतरण												
40.01 आकस्मिकता निधि में अंतरण	29500.00	29500.00	...	29500.00	29500.00
40.02 संचित निधि से विनियोजन	-29500.00	-29500.00	...	-29500.00	-29500.00
<i>निवल</i>
जोड़-अन्य	2625.38	4277.28	6902.66	2080.71	51597.39	53678.10	3440.25	5515.57	8955.82	4191.97	3296.89	7488.86
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	2625.38	4277.28	6902.66	2080.71	51597.39	53678.10	3440.25	5515.57	8955.82	4191.97	3296.89	7488.86
कुल जोड़	5413.80	7844.73	13258.53	4520.78	56607.40	61128.18	5090.52	10525.58	15616.10	6143.36	8396.90	14540.26

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. अन्य राजकोषीय सेवाएं	12.62	...	12.62	16.20	...	16.20	16.11	...	16.11	16.11	...	16.11
2. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	121.23	...	121.23	156.59	...	156.59	176.32	...	176.32	211.28	...	211.28
3. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	21.15	...	21.15	20.84	...	20.84	15.71	...	15.71	17.39	...	17.39
4. विविध सामान्य सेवाएं	1600.03	...	1600.03	600.03	...	600.03	939.10	...	939.10	1000.03	...	1000.03
5. मुद्रा, सिक्का निर्माण और टकसाल पर पूंजी परिव्यय	...	-1081.50	-1081.50
6. लेखन सामग्री और छपाई पर पूंजी परिव्यय	3.00	3.00
जोड़-सामान्य सेवाएं	1755.03	-1081.50	673.53	793.66	3.00	796.66	1147.24	...	1147.24	1244.81	...	1244.81
सामाजिक सेवाएं												
7. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0.10	...	0.10	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03
8. आवास पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.17	0.17	...	20.00	20.00	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
जोड़-सामाजिक सेवाएं	0.10	0.17	0.27	...	20.00	20.00	0.03	0.01	0.04	0.03	0.01	0.04
आर्थिक सेवाएं												
9. कृषि वित्तीय संस्थान	95.89	...	95.89	125.80	...	125.80	125.80	...	125.80	120.00	...	120.00
10. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थान	2.99	...	2.99	3.00	...	3.00	1.67	...	1.67	3.00	...	3.00
11. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं	0.66	...	0.66	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
12. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	860.15	...	860.15	1508.11	...	1508.11	2429.75	...	2429.75	3392.50	...	3392.50
13. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	...	5482.72	5482.72	...	8250.01	8250.01	...	7000.01	7000.01	...	7500.01	7500.01
14. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश	...	3262.68	3262.68	...	3495.60	3495.60	...	3400.67	3400.67	...	740.68	740.68
15. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	44724.65	44724.65	...	10.01	10.01	...	100.01	100.01
16. कृषि वित्तीय संस्थानों के लिए ऋण	...	49.07	49.07	...	49.34	49.34	...	49.34	49.34	...	50.02	50.02
17. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों के लिए ऋण	...	35.35	35.35	...	34.34	34.34	...	34.34	34.34	...	31.17	31.17
18. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के लिए ऋण	...	54.43	54.43	...	55.46	55.46	...	56.20	56.20
19. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण
जोड़-आर्थिक सेवाएं	959.03	8884.25	9843.28	1637.57	56609.40	58246.97	2557.24	10550.57	13107.81	3515.52	8421.89	11937.41
अन्य												
20. अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	2699.64	...	2699.64	2089.55	...	2089.55	1386.01	...	1386.01	1383.00	...	1383.00
21. सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	...	41.81	41.81	...	-25.00	-25.00	...	-25.00	-25.00	...	-25.00	-25.00
22. आकस्मिकता निधि को विनियोग
जोड़-अन्य	2699.64	41.81	2741.45	2089.55	-25.00	2064.55	1386.01	-25.00	1361.01	1383.00	-25.00	1358.00
कुल जोड़	5413.80	7844.73	13258.53	4520.78	56607.40	61128.18	5090.52	10525.58	15616.10	6143.36	8396.90	14540.26

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि लि.	3567.45	...	3567.45	5000.01	...	5000.01	5000.01	...	5000.01	5000.01	...	5000.01
2. एडीवी और केएफडब्ल्यू को अवसंरचना लीजिंग एवं वित्तीय सेवा लि. द्वारा ऋण की अदायगी	35.35	...	35.35	34.34	...	34.34	34.34	...	34.34	31.17	...	31.17
जोड़	3602.80	...	3602.80	5034.35	...	5034.35	5034.35	...	5034.35	5031.18	...	5031.18

- सचिवालय:** यह प्रावधान आर्थिक कार्य विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।
- संबद्ध कार्यालय:** यह प्रावधान आर्थिक कार्य विभाग के संबद्ध कार्यालयों अर्थात् वाशिंगटन, बीजिंग, टोक्यो दूतावास आदि के आर्थिक स्कन्ध आदि, वायदा बाजार आयोग (एफएमसी), प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) के स्थापना व्यय के लिए है।
- राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ):** यह प्रावधान राष्ट्रीय निवेश और इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एनआईआईएफ) लिमिटेड में अंतरण और निवेश के लिए है और उसके प्रबंधन शुल्क के लिए है।
- अर्थक्षमता अंतर निधियन:** यह प्रावधान सरकारी निजी साझेदारी (पीपीपी) के अंतर्गत अर्थक्षमता अंतर निधियन (वी.जी.एफ.) के प्रावधान के माध्यम से अवसंरचना परियोजनाओं को बजटीय सहायता प्रदान करने के लिए है।
- भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएएस) के अंतर्गत ऋण सीमा:** यह प्रावधान रियायती दर पर वित्तपोषण, एग्जिम बैंक को अतिदेय पुराने व्याज सहित भारतीय विकास एवं आर्थिक सहायता स्कीम (आईडीईएएस) के अंतर्गत ऋण व्यवस्था के लिए व्याज समकरण सहयोग के निमित्त है।
- आईएमएफ दिल्ली के किराया लागत में अंशदान:** यह प्रावधान आईएमएफ दिल्ली के किराया लागत में अंशदान के लिए है।
- अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी):** यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी) को अंशदान देने के लिए है।
- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं:** यह प्रावधान तकनीकी सहयोग हेतु राष्ट्रमंडल निधि, अफ्रीकी विकास बैंक के साथ तकनीकी सहयोग, राजकोपीय संबंधों पर आर्थिक सहायता और विकास नेटवर्क संगठनों को अंशदान, जीएफटीएम और जीएवीआई को अंशदान के अंतर्गत अंशदान देने सहित अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए है।
- एफडीएफ के एमडीआरआई को अंशदान:** यह प्रावधान अफ्रीकी विकास निधि के बहुपक्षीय ऋण राहत पहल में अंशदान करने के लिए है।
- आईडीए को अंशदान:** यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) को अंशदान देने के लिए है।
- अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग: (अंतरराष्ट्रीय अंशदान):** यह प्रावधान अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में अंशदान, वैश्विक पर्यावरण न्यास निधि आदि में अंशदान) में अंशदान के लिए है।
- एशियाई विकास निधि-13 में अंशदान:** यह प्रावधान एशियाई विकास निधि-13 में अंशदान करने के लिए है।
- क्लाइमेट एक्शन पियर (सीएपीई) को योगदान:** क्लाइमेट एक्शन पियर एक्सचेंज (सीएपीई) में भारत के योगदान के लिए सांकेतिक प्रावधान किया गया है।
- एसईडीएफ के लिए अंशदान:** साउथ-साउथ एक्सपीरियंस एक्सचेंज ट्रस्ट फंड (एसईडीएफ) में योगदान के लिए प्रावधान है।
- उधार के लिए नई व्यवस्था:** यह प्रावधान उधार लेने की नई व्यवस्था में निवेश के लिए नोट खरीद करार को आगे बढ़ाने के लिए है।
- मुद्रा, सिक्का निर्माण और टकसाल:** यह प्रावधान भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और सिक्का निर्माण निगम लिमिटेड से सिक्कों की खरीद के लिए है।
- वारक्षित निधि:** यह प्रावधान गारंटी मोचन निधि, सॉवरेन स्वर्ण बांड स्कीम और स्वर्ण मुद्राकरण स्कीम में अंतरण के लिए है।
- अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग:** यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन/बैठक (त्रिक्स/सार्क/एनडीवी/इंटरनेशनल करप्शन इंटरस एलायंस के लिए) और जीआईजेड को सेवाकर के लिए है।
- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश:** इसमें अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईवीआरडी), एशियाई विकास बैंक को अभिदान, अफ्रीकी विकास बैंक को अभिदान और मूल्य के अनुरक्षण दायित्व (एमओवी) दायित्व के प्रति भारत का अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में

निवेश तथा सामान्य पूंजी वर्द्धन (जीसीआई) के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्त कारपोरेशन में निवेश हेतु प्रावधान शामिल है। इस प्रावधान में आईएमएफ के उधारी संसाधनों में भारत का अंशदान भी शामिल है।

27. **अन्य व्यय:** यह प्रावधान कालातीत मामलों में केंद्रीय प्रतिभूति पर व्याज भुगतान और सरकारी खातों में जमा अदावी प्रतिभूतियों, संरक्षित बचत स्कीमों के भुगतान, आईएमएफ को भुगतान योग्य निर्धारण प्रभार, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं आदि, आईआईपीडीएफ के तहत अन्य व्यय और गोल्ड मुद्राकरण योजना 2015 के लिए कमीशन भुगतान के लिए है। नई घोषणाओं के लिए सांकेतिक प्रावधान भी किया गया है।

28. **केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/संस्थानों में क्षमता निर्माण प्रशिक्षण:** यह प्रावधान केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/संस्थानों में क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण के लिए है।

29. **सरकारी सेवकों आदि को ऋण:** यह एक संयुक्त मांग है जिसमें सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों और उनके अधीनस्थ संगठनों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों हेतु उनके कर्मचारियों को ऋणों और अग्रिमों के भुगतान के लिए प्रावधान है। इसमें आवास खरीदने के लिए संसद सदस्यों को अग्रिम देने हेतु प्रावधान भी शामिल है।

जिस प्रयोजन से सब्याज ऋण अग्रिम दिया जाता है उनमें मकान निर्माण और कम्प्यूटरों आदि की खरीद शामिल है।

30. **लघु बचत योजनाएं:** यह प्रावधान राष्ट्रीय बचत संस्थान के सचिवालयी व्यय और सरकार की लघु बचत योजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए है।

32. **आवास संबंधी पूंजी परिव्यय:** यह प्रावधान आईईएस अधिकारियों के लिए दिल्ली में 90 आवासों की इकाईयों के निर्माण के लिए रखा गया है।

34. **स्वर्ण मुद्राकरण योजना:** यह प्रावधान स्वर्ण मुद्राकरण स्कीम, 2015 के तहत जुटाए गए सोने के मूल्य के लिए है।

35. **इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड द्वारा एडीबी एवं केएफडब्ल्यू को ऋण की चुकौती:** इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लि. द्वारा एडीबी और केएफडब्ल्यू को ऋण के भुगतान के लिए प्रावधान है।

36. **रियायती साझेदार ऋण (सीपीएल):** यह प्रावधान कृषि विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय निधि (आईएफडी) को रियायती साझेदार ऋण के भुगतान के लिए रखा गया है।

37. **मध्यम आय समूह के लिए सस्ता आवासन:** यह प्रावधान मध्यम आय समूह के लिए किफायती आवासन हेतु विशेष विंडो बनाने के लिए है।

39. **एनआईआईएफ अवसंरचना ऋण वित्तीय आधार में पूंजी समावेशन:** यह प्रावधान एनआईआईएफ अवसंरचना ऋण वित्तीय आधार में पूंजी समावेशन हेतु है जिसमें असीम अवसंरचना वित्त लिमिटेड (एआईएफएल) और एनआईआईएफ अवसंरचना वित्त लिमिटेड (एनआईआईएफ आईएफएल) शामिल हैं।

वित्त मंत्रालय
मांग संख्या 31
व्यय विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	289.31	...	289.31	454.74	...	454.74	459.57	...	459.57	476.88	0.01	476.89
वसूलियां	-0.15	...	-0.15
प्राप्तियां
निवल	289.16	...	289.16	454.74	...	454.74	459.57	...	459.57	476.88	0.01	476.89
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय सामान्य सेवाएं	240.32	...	240.32	391.92	...	391.92	403.17	...	403.17	419.47	0.01	419.48
2. शासकीय लेखा और वित्त संस्थान	6.32	...	6.32	8.00	...	8.00	7.97	...	7.97	8.34	...	8.34
3. नई पेंशन योजना के लिए नेशनल सिन्डोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड प्रभार	31.26	...	31.26	33.00	...	33.00	30.00	...	30.00	31.00	...	31.00
4. वास्तविक वसूलियां	-0.15	...	-0.15
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	277.75	...	277.75	432.92	...	432.92	441.14	...	441.14	458.81	0.01	458.82
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
5. राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान	11.41	...	11.41	21.82	...	21.82	18.43	...	18.43	18.07	...	18.07
कुल जोड़	289.16	...	289.16	454.74	...	454.74	459.57	...	459.57	476.88	0.01	476.89
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	240.20	...	240.20	391.92	...	391.92	403.17	...	403.17	419.47	...	419.47
2. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	48.99	...	48.99	62.82	...	62.82	56.40	...	56.40	57.41	...	57.41
3. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	0.01	0.01
जोड़-सामान्य सेवाएं	289.19	...	289.19	454.74	...	454.74	459.57	...	459.57	476.88	0.01	476.89
आर्थिक सेवाएं												
4. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	-0.03	...	-0.03
जोड़-आर्थिक सेवाएं	-0.03	...	-0.03
कुल जोड़	289.16	...	289.16	454.74	...	454.74	459.57	...	459.57	476.88	0.01	476.89

- सचिवालय सामान्य सेवाएँ:** यह प्रावधान महालेखा नियंत्रक के कार्यालय सहित व्यय विभाग के सचिवालय व्यय और महालेखा नियंत्रक के कार्यालय के लिए नए भवन के लिए लोक निर्माण कार्यों के लिए है।
- शासकीय लेखा और वित्त संस्थान:** यह प्रावधान सिविल लेखा संगठन के समूह ख और ग कर्मचारियों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान किए जाने से संबंधित व्यय के लिए है।
- नई पेंशन योजना के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड प्रभार:** यह प्रावधान नई पेंशन स्कीम के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को सेवा प्रभारों के भुगतान संबंधी व्यय के लिए है।
- राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान:** यह प्रावधान राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम) द्वारा सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्र सरकार के वित्त और लेखा अधिकारियों को पेशेवर प्रशिक्षण देने के शुल्क की प्रतिपूर्ति और स्थापना व्यय के लिए अनुदान और एनआईएफएम भवन के स्तरोन्नयन के लिए है।

वित्त मंत्रालय
मांग संख्या 32
वित्तीय सेवाएं विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	10289.16	38650.00	48939.16	3710.78	47800.03	51510.81	3187.87	79118.00	82305.87	1102.71	6072.06	7174.77
वसूलियां	-82.66	-6000.00	-6082.66	...	-2000.00	-2000.00	...	-32084.00	-32084.00	...	-1861.02	-1861.02
प्राप्तियां	-90.00	-20000.00	-20090.00	-0.01	-20000.01	-20000.02	-150.00	-15000.00	-15150.00	-0.01	-0.01	-0.02
निवल	10116.50	12650.00	22766.50	3710.77	25800.02	29510.79	3037.87	32034.00	35071.87	1102.70	4211.03	5313.73
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय- सामान्य सेवाएं	56.63	...	56.63	58.84	...	58.84	59.35	...	59.35	66.89	...	66.89
	-0.03	...	-0.03
<i>निवल</i>	<i>56.60</i>	...	<i>56.60</i>	<i>58.84</i>	...	<i>58.84</i>	<i>59.35</i>	...	<i>59.35</i>	<i>66.89</i>	...	<i>66.89</i>
2. निदेशन और प्रशासन												
2.01 विशेष न्यायालय का कार्यालय	2.49	...	2.49	3.05	...	3.05	3.31	...	3.31	3.75	...	3.75
2.02 अभिरक्षक का कार्यालय	7.07	...	7.07	8.61	...	8.61	7.27	...	7.27	8.85	...	8.85
2.03 ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी)	140.30	...	140.30	141.34	...	141.34	141.01	...	141.01	153.77	...	153.77
	-0.16	...	-0.16
<i>निवल</i>	<i>140.14</i>	...	<i>140.14</i>	<i>141.34</i>	...	<i>141.34</i>	<i>141.01</i>	...	<i>141.01</i>	<i>153.77</i>	...	<i>153.77</i>
2.04 न्यायालय परिसमापक का कार्यालय	0.04	...	0.04	0.03	...	0.03	0.02	...	0.02	0.03	...	0.03
<i>जोड़- निदेशन और प्रशासन</i>	<i>149.74</i>	...	<i>149.74</i>	<i>153.03</i>	...	<i>153.03</i>	<i>151.61</i>	...	<i>151.61</i>	<i>166.40</i>	...	<i>166.40</i>
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	206.34	...	206.34	211.87	...	211.87	210.96	...	210.96	233.29	...	233.29
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनःपूंजीकरण												
3. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनःपूंजीकरण	0.01	0.01	0.01	0.01
4. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनः पूंजीकरण (बांडों के माध्यम से)												
4.01 सकल बजटीय सहायता	...	20000.00	20000.00	...	20000.00	20000.00	...	15000.00	15000.00	...	0.01	0.01
4.02 पीएसबी को विशेष प्रतिभूतियों के निर्गमन के जरिए पूरा करके घटाएं	...	-20000.00	-20000.00	...	-20000.00	-20000.00	...	-15000.00	-15000.00	...	-0.01	-0.01
<i>निवल</i>

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण	0.01	0.01	0.01	0.01
एक्विजिशन बैंक												
5. भारत के निर्यात-आयात बैंक की शेयर पूंजी में अभिदान	...	1300.00	1300.00	...	1500.00	1500.00	...	750.00	750.00	...	1500.00	1500.00
6. बीमा कम्पनियों का पुनः पूंजीकरण												
6.01 राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण	...	5000.00	5000.00	0.01	0.01
6.02 सकल बजटीय सहायता	...	9950.00	9950.00	0.01	0.01
6.03 राष्ट्रीय निवेश निधि से पूरी की गई रकम	...	-5000.00	-5000.00	-0.01	-0.01
<i>निवल</i>	...	9950.00	9950.00	0.01	0.01
वित्तीय संस्थाओं को सहायता												
7. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की शेयर पूंजी में अभिदान												
7.01 राष्ट्रीय निवेश निधि में अंतरण	...	1000.00	1000.00	...	2000.00	2000.00	...	2000.00	2000.00
7.02 सकल बजटीय सहायता	...	1000.00	1000.00	...	2000.00	2000.00	...	2000.00	2000.00	...	500.00	500.00
7.03 राष्ट्रीय निवेश निधि से पूरी की गई रकम	...	-1000.00	-1000.00	...	-2000.00	-2000.00	...	-2000.00	-2000.00
<i>निवल</i>	...	1000.00	1000.00	...	2000.00	2000.00	...	2000.00	2000.00	...	500.00	500.00
8. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का पुनर्पूंजीकरण												
8.01 राष्ट्रीय निवेश निधि में अंतरण	4084.00	4084.00	...	1361.00	1361.00
8.02 सकल बजटीय सहायता	...	200.00	200.00	...	1200.00	1200.00	...	4084.00	4084.00	...	1361.00	1361.00
8.03 राष्ट्रीय निवेश निधि से पूरा की गई राशि	-4084.00	-4084.00	...	-1361.00	-1361.00
<i>निवल</i>	...	200.00	200.00	...	1200.00	1200.00	...	4084.00	4084.00	...	1361.00	1361.00
9. आईआईएफसीएल में इक्विटी सहायता (बॉन्ड के माध्यम से)												
9.01 सकल बजटीय सहायता	0.01	0.01
9.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि	-0.01	-0.01
<i>निवल</i>
10. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) को इक्विटी सहायता	...	200.00	200.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00
11. बाह्य सहायता प्राप्त संघटकों के लिए आईसीआईसीआई बैंक को अनुदान	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
12. आधार समर्थित भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड की वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) में अंशदान	19.04	...	19.04	10.00	...	10.00	8.00	...	8.00	0.01	...	0.01
13. इंडो स्विस् कॉर्पोरेशन-VI के अंतर्गत दावों के निपटान के लिए नाबार्ड को अनुदान	0.84	...	0.84	0.84	...	0.84	0.84	...	0.84	0.84	...	0.84
14. आवास ऋणों पर ब्याज सहायता के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक को सब्सिडी	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
15. भारत में निम्न आय आवास वित्त के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को विश्व बैंक की सहायता	0.01	0.01
16. दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएसएफ) से जारी प्रतिभूतियों का मोचन												
16.01 सकल बजटीय सहायता	90.00	...	90.00	0.01	...	0.01	150.00	...	150.00	0.01	...	0.01
16.02 घटाएं – दबावग्रस्त आस्ति के स्थिरीकरण निधि से	-90.00	...	-90.00	-0.01	...	-0.01	-150.00	...	-150.00	-0.01	...	-0.01
<i>निवल</i>

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
17. राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषक एवं विकास बैंक से अनुदान												
17.01 राष्ट्रीय निवेश निधि से अंतरण	5000.00	5000.00
17.02 सकल बजटीय सहायता	5000.00	5000.00
17.03 राष्ट्रीय निवेश निधि से पूरी की गई रकम	-5000.00	-5000.00
<i>निवल</i>	5000.00	5000.00
जोड़-वित्तीय संस्थाओं को सहायता	19.88	1400.00	1419.88	10.86	3300.01	3310.87	8.84	11184.00	11192.84	0.87	1961.00	1961.87
सामाजिक सुरक्षा स्कीमें												
18. प्रधानमंत्री जन-धन बीमा योजना (पीएमजेडीबीवाई) को सहायता	0.01	...	0.01
19. अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में सरकार का सह-अंशदान	273.00	...	273.00	153.00	...	153.00	203.00	...	203.00	200.01	...	200.01
20. वरिष्ठ नागरिकों हेतु पेंशन योजना के लिए एलआईसी को व्याज सन्निधि	45.05	...	45.05	65.00	...	65.00	65.00	...	65.00	94.56	...	94.56
	-82.47	...	-82.47
<i>निवल</i>	-37.42	...	-37.42	65.00	...	65.00	65.00	...	65.00	94.56	...	94.56
21. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजीबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) (प्रचार-प्रसार तथा जागरूकता)	5.00	...	5.00	3.00	...	3.00	0.01	...	0.01
22. कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएस)	50.00	50.00	...	250.00	250.00
23. प्रधान मंत्री वय वंदन योजना (पीएमवीवीआई)	152.77	...	152.77	345.02	...	345.02	120.06	...	120.06	473.92	...	473.92
जोड़-सामाजिक सुरक्षा स्कीमें	388.35	...	388.35	568.03	...	568.03	391.06	50.00	441.06	768.50	250.00	1018.50
क्रेडिट गारंटी निधियां												
24. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) (एनसीजीटीसी के द्वारा)	2500.00	...	2500.00	10.00	...	10.00	100.00	...	100.00
25. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और मुद्रा लिमिटेड द्वारा किए गए अन्य उपायों के संबंध में जागरूकता पैदा करना और प्रचार करना	5.00	...	5.00	2.01	...	2.01	0.01	...	0.01
26. सूक्ष्म वित्त संस्थानों हेतु क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएमएफआई)	50.00	50.00	...	500.00	500.00
27. स्टेण्ड-अप इंडिया (एनसीजीटीसी के द्वारा)	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	0.01	...	0.01
28. स्टेण्डअप इंडिया और सिडबी द्वारा किए गए अन्य उपायों के संबंध में जागरूकता पैदा करना और प्रचार करना	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	0.01	...	0.01
29. फैक्ट्रिंग के लिए क्रेडिट गारंटी निधि (एनसीजीटीसी के द्वारा)	0.01	...	0.01
जोड़-क्रेडिट गारंटी निधियां	100.00	...	100.00	2610.01	...	2610.01	117.01	50.00	167.01	100.03	500.00	600.03
30. पात्र एमएसएमई लेनदारों के लिए गारंटी आपातकालीन ऋण सुविधा हेतु (जीईसीएल) राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी न्यासी कंपनी लिमिटेड को सहायता (एनसीजीटीसी)	4000.00	...	4000.00
31. आंशिक ऋण गारंटी योजना के तहत सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटी लागू करने पर दावों के निपटान के लिए ऋण												
31.01 सकल बजटीय सहायता	1000.00	1000.00	...	1000.00	1000.00	...	500.00	500.00
31.02 गारंटी मोचन निधि से पूरा करके घटाएं	-1000.00	-1000.00	...	-500.00	-500.00
<i>निवल</i>	1000.00	1000.00
32. शिशु ऋण के तुरत पुनर्भुगतान (सन्निधि) पर 2 प्रतिशत की व्याज आर्थिक सहायता पर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को	775.00	...	775.00	310.00	...	310.00	310.00	...	310.00	0.01	...	0.01

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
सस्मिडी												
33. (एनएवीएफआईडी) को पूंजी सहायता												
33.01 राष्ट्रीय निवेश निधि में अंतरण	20000.00	20000.00	...	0.01	0.01
33.02 सकल बजटीय सहायता	20000.00	20000.00	...	20000.00	20000.00	...	0.01	0.01
33.03 राष्ट्रीय निवेश निधि से पूरी की गई राशि	-20000.00	-20000.00	...	-0.01	-0.01
निवल	20000.00	20000.00	...	20000.00	20000.00	...	0.01	0.01
34. ऋण अधिस्थगन हेतु संयोजित व्याज सहायता स्कीम	4626.93	...	4626.93	2000.00	...	2000.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	9910.16	12650.00	22560.16	3498.90	25800.02	29298.92	2826.91	32034.00	34860.91	869.41	4211.03	5080.44
कुल जोड़	10116.50	12650.00	22766.50	3710.77	25800.02	29510.79	3037.87	32034.00	35071.87	1102.70	4211.03	5313.73
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. अन्य राजकोषीय सेवाएं	9.56	...	9.56	11.66	...	11.66	10.58	...	10.58	12.60	...	12.60
2. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	56.60	...	56.60	58.84	...	58.84	59.35	...	59.35	66.89	...	66.89
3. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	140.14	...	140.14	141.34	...	141.34	141.01	...	141.01	153.77	...	153.77
जोड़-सामान्य सेवाएं	206.30	...	206.30	211.84	...	211.84	210.94	...	210.94	233.26	...	233.26
सामाजिक सेवाएं												
4. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	388.35	...	388.35	568.03	...	568.03	391.06	...	391.06	768.50	...	768.50
जोड़-सामाजिक सेवाएं	388.35	...	388.35	568.03	...	568.03	391.06	...	391.06	768.50	...	768.50
आर्थिक सेवाएं												
5. कृषि वित्तीय संस्थान	19.88	...	19.88	10.84	...	10.84	8.84	...	8.84	0.85	...	0.85
6. उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय	775.00	...	775.00	310.02	...	310.02	310.00	...	310.00	0.03	...	0.03
7. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थान	8726.93	...	8726.93	2610.01	...	2610.01	2117.01	...	2117.01	100.03	...	100.03
8. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.04	...	0.04	0.03	...	0.03	0.02	...	0.02	0.03	...	0.03
9. कृषि वित्तीय संस्थानों में निवेश	...	1200.00	1200.00	...	3200.00	3200.00	...	6084.00	6084.00	...	1861.00	1861.00
10. उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूंजी परिव्यय	...	1500.00	1500.00	...	1600.00	1600.00	...	850.00	850.00	...	1600.00	1600.00
11. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	...	9950.00	9950.00	...	20000.01	20000.01	...	25000.00	25000.00	...	0.03	0.03
12. उद्योग और खनिजों को अन्य ऋण	0.01	0.01	...	50.00	50.00	...	500.00	500.00
13. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों के लिए ऋण	1000.00	1000.00	...	50.00	50.00	...	250.00	250.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	9521.85	12650.00	22171.85	2930.90	25800.02	28730.92	2435.87	32034.00	34469.87	100.94	4211.03	4311.97
कुल जोड़	10116.50	12650.00	22766.50	3710.77	25800.02	29510.79	3037.87	32034.00	35071.87	1102.70	4211.03	5313.73

(₹ करोड़)

बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
------------	----------------	------	------------	----------------	------	------------	----------------	------	------------	----------------	------

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

	बजट			बजट			बजट			(₹ करोड़)		
	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	1000.00	...	1000.00	2000.00	...	2000.00	2000.00	...	2000.00	500.00	...	500.00
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्पूँजीकरण	200.00	...	200.00	1200.00	...	1200.00	4084.00	...	4084.00	1361.00	...	1361.00
3. भारतीय निर्यात आयात बैंक	1300.00	...	1300.00	1500.00	...	1500.00	750.00	...	750.00	1500.00	...	1500.00
4. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूँजीकरण	20000.00	...	20000.00	20000.00	...	20000.00	15000.00	...	15000.00	0.02	...	0.02
5. इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया	200.00	...	200.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00
6. इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	0.01	...	0.01
7. बीमा कंपनियों का पुनः पूँजीकरण	9950.00	...	9950.00	0.01	...	0.01
8. नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट	20000.00	...	20000.00	0.01	...	0.01
जोड़	32650.00	...	32650.00	24800.01	...	24800.01	41934.00	...	41934.00	3461.04	...	3461.04

- सचिवालय- सामान्य सेवाएं:** यह प्रावधान वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।
- निवेश और प्रशासन:** ये प्रावधान प्रतिभूतियों के लेन-देन में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संयंत्र अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय के कार्यालय, अभिरक्षक कार्यालय, ऋण वसूली अधिकरण एवं न्यायालय परिसमापक के कार्यालय के लिए है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनःपूँजीकरण:** हाल के प्रदर्शन के आधार पर समीक्षा के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में राशि पर और भी पूँजी का समावेशन करने के लिए सांकेतिक प्रावधान किया गया है।
- भारतीय निर्यात-आयात बैंक की शेयर पूँजी में अभिदान:** यह प्रावधान बैंक की चुकता पूँजी को इसकी प्राधिकृत पूँजी के स्तर तक बढ़ाने के लिए इच्छिटी सहायता/अभिदान के रूप में एक्जिम बैंक के लिए है।
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की शेयर पूँजी में अभिदान:** राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की शेयर पूँजी में अंशदान हेतु प्रावधान है।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का पुनर्पूँजीकरण:** यह प्रावधान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनःपूँजीकरण के लिए है।
- भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) को इच्छिटी सहायता:** यह प्रावधान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के बिजनेस कार्यक्रम और पूँजी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इच्छिटी समर्थन के लिए है।

- बहु सहायता प्राप्त संघटकों के लिए आईसीआईसीआई बैंक को अनुदान:** यह प्रावधान भारत सरकार और जर्मनी सरकार के बीच द्विपक्षीय ऋण समझौते के अंतर्गत क्रेडिटएग्लैंड फर वाइडरौफआउट (केएफडब्ल्यू) द्वारा आईसीआईसीआई बैंक को दिए गए ऋणों के लिए व्याज विभेदक निधि (आईडीएफ) के अंतर्गत जमा की गई राशि पर आईसीआईसीआई बैंक को अनुदान के भुगतान हेतु है।
- आधार समर्थित भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड की वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) में अंशदान:** यह प्रावधान आधार समर्थित भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड की वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) में अंशदान के लिए है।
- इंडो स्विस सहयोग-VI के अंतर्गत दावों के निपटान के लिए नाबार्ड को अनुदान:** यह प्रावधान इंडो स्विस सहयोग- VI परियोजना करार के अंतर्गत नाबार्ड के दावों के निपटान के लिए भुगतान हेतु है।
- आवास ऋण पर व्याज सहायता के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक को सब्सिडी:** यह प्रावधान आवास ऋण पर व्याज सहायता के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक को सहायता देने के लिए है।
- अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में सरकार का सह-अंशदान:** यह प्रावधान सरकार के सह-अंशदान, एग्रीगेटर को प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए पीएफआरडीए को निधि सहयोग एवं अटल पेंशन योजना के तहत प्रचारपरक अभियान के लिए है।
- वरिष्ठ नागरिकों हेतु पेंशन योजना के लिए एलआईसी को व्याज सब्सिडी:** यह प्रावधान भारतीय जीवन बीमा निगम को पॉलिसी धारकों को पेंशन/वार्षिकी के लिए व्याज की आर्थिक सहायता के भुगतान तथा पॉलिसी धारकों के नामिती को खरीद मूल्य के बराबर एकमुश्त राशि के भुगतान के लिए है।

21. **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (प्रचार-प्रसार तथा जागरूकता):** यह प्रावधान प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना (पीएमजेजीबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के प्रचार और जागरूकता के लिए है।
22. **कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए लोन गारंटी योजना (एलजीएससीएस):** यह प्रावधान कोविड प्रभावित क्षेत्रों (एलजीएससीएस) के लिए ऋण गारंटी योजना हेतु किया गया है।
23. **प्रधानमंत्री वय वंदन योजना (पीएमवीवीआई):** यह प्रावधान बाजार की अनिश्चित स्थिति के कारण 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के वयोवृद्ध व्यक्तियों के ब्याज की आय के भविष्य में गिरावट के प्रति उन्हें संरक्षण देने हेतु और प्रधानमंत्री वय वंदन योजना (पीएमवीवीआई) के अंतर्गत वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी भारतीय जीवन बीमा निगम को ब्याज की आर्थिक सहायता के भुगतान के लिए है।
24. **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) (एनसीजीटीसी के द्वारा):** यह प्रावधान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत दिए गए ऋण को क्रेडिट गारंटी निधि हेतु राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है।
25. **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और मुद्रा लिमिटेड द्वारा किए गए अन्य उपायों के संबंध में जानगरूकता पैदा करना और प्रचार करना:** यह प्रावधान मुद्रा लिमिटेड के माध्यम से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के लिए प्रचार और जागरूकता के लिए है।
26. **सूक्ष्म वित्त संस्थानों हेतु क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएमएफआई):** यह प्रावधान सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए ऋण गारंटी योजना हेतु किया गया है।
27. **स्टैंड-अप इंडिया (एनसीजीटीसी के द्वारा):** यह प्रावधान अनु.जाति/अनु.जनजाति तथा महिला उद्यमियों द्वारा ग्रीन फील्ड उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए स्टैंडअप इंडिया पहल स्थापित करने के लिए क्रेडिट गारंटी निधि के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है।
28. **स्टैंडअप इंडिया और सिडबी द्वारा किए गए अन्य उपायों के संबंध में जानगरूकता पैदा करना और प्रचार:** यह प्रावधान सिडबी के माध्यम से स्टैंडअप इंडिया के लिए प्रचार और जागरूकता के लिए है।
32. **शिशु ऋण के तुरंत पुनर्भुगतान (सब्सिडी) पर 2 प्रतिशत की ब्याज आर्थिक सहायता पर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सीडबी) को सब्सिडी:** शिशु ऋण (आर्थिक सहायता) के त्वरित भुगतान के लिए 2 प्रतिशत के ब्याज की आर्थिक सहायता पर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा आर्थिक सहायता।
33. **राष्ट्रीय अवसररचना वित्तपोषक एवं विकास बैंक (एनएबीएफआईडी) को पूंजी सहायता:** यह प्रावधान राष्ट्रीय अवसररचना वित्तपोषक एवं विकास बैंक के पूंजीकरण हेतु किया गया है।

वित्त मंत्रालय
मांग संख्या 33
लोक उद्यम विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	16.15	...	16.15	21.81	...	21.81	27.00	150.00	177.00	30.00	...	30.00
वसूलियां	-0.04	...	-0.04
प्राप्तियां
निवल	16.11	...	16.11	21.81	...	21.81	27.00	150.00	177.00	30.00	...	30.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	12.44	...	12.44	13.26	...	13.26	20.20	150.00	170.20	21.45	...	21.45
2. वास्तविक वसूलियां	-0.03	...	-0.03
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	12.41	...	12.41	13.26	...	13.26	20.20	150.00	170.20	21.45	...	21.45
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उपयुक्त कर्मचारियों के लिए परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन												
3. परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन योजना	0.75	...	0.75	3.40	...	3.40	2.70	...	2.70	3.40	...	3.40
4. केन्द्रीय लोक उद्यमों (सीपीएसई) और राज्य स्तरीय लोक उद्यमों से संबंधित जेनेरिक मुद्दों पर अनुसंधान, विकास एवं परामर्श	2.95	...	2.95	5.15	...	5.15	4.10	...	4.10	5.15	...	5.15
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	3.70	...	3.70	8.55	...	8.55	6.80	...	6.80	8.55	...	8.55
कुल जोड़	16.11	...	16.11	21.81	...	21.81	27.00	150.00	177.00	30.00	...	30.00
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. उद्योग	3.69	...	3.69	7.70	...	7.70	6.12	...	6.12	7.70	...	7.70
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	12.42	...	12.42	13.26	...	13.26	20.20	...	20.20	21.45	...	21.45
3. अन्य उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	150.00	150.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	16.11	...	16.11	20.96	...	20.96	26.32	150.00	176.32	29.15	...	29.15
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	0.85	...	0.85	0.68	...	0.68	0.85	...	0.85

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-अन्य	0.85	...	0.85	0.68	...	0.68	0.85	...	0.85
कुल जोड़	16.11	...	16.11	21.81	...	21.81	27.00	150.00	177.00	30.00	...	30.00

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं:** (i) इसके अंतर्गत विभाग के सचिवालय, सरकारी क्षेत्र के महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न उद्यमों के गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों के चयन के लिए सर्व समिति पर व्यय के लिए निधि उपलब्ध कराई जाती है। इसमें प्रशिक्षण, हार्डवेयरों और सॉफ्टवेयरों की अधिप्राप्ति के साथ-साथ सॉफ्टवेयर के विकास एवं रखरखाव तथा कार्यालय परिसर के आधुनिकीकरण सहित सूचना प्रौद्योगिकी के लिए भी निधि का प्रावधान किया जाता है। (ii) गैर-प्रमुख आस्तियों, जिनमें सरकारी मंत्रालयों/विभाग और लोक उद्यमों के पास पड़ी फालतू भूमि शामिल हैं, के मुद्रीकरण के लिए गठित विशेष प्रयोजनीय साधन, जो एक कम्पनी है, में निवेश के निमित्त।

3. **परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन योजना:** केंद्रीय लोक उद्यमों के पृथक्कृत कर्मचारियों/वीआरएस विकल्पधारियों के परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निधि (एनएसडीएफ)/राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) को फंड प्रदान किया जाता है। इस स्कीम की निगरानी तथा मूल्यांकन के लिए भी फंड का उपयोग किया जाता है। सी. आर. आर. स्कीम से जुड़े हुए परामर्शदाताओं के भुगतान।

4. **केन्द्रीय लोक उद्यमों और राज्य स्तरीय लोक उद्यमों से संबंधित जेनेरिक मुद्दों पर अनुसंधान, विकास एवं परामर्श :** निधि का उपयोग (i) सम्मेलनों / सेमिनारों / कार्यशालाओं के आयोजन तथा समझौता ज्ञापन एवं उस पर वार्ता तथा मूल्यांकन प्रक्रिया सहित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के जेनेरिक मुद्दों पर विषय वस्तुगत अध्ययन/परामर्श करने, (ii) केन्द्रीय लोक उद्यमों के कार्यपालकों एवं कर्मचारियों तथा लोक उद्यम विभाग के कर्मचारियों को कार्यपालकों एवं कर्मचारियों के कौशल विकास प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रशिक्षण देने, (iii) गैर सरकारी निदेशकों पर विशेष जोर के साथ सीपीएसई के बोर्डों में शामिल निदेशकों को प्रशिक्षण देना दिशा-निर्देशों में शामिल किया गया है (iv) समझौता ज्ञापन से संबंधित कार्यकलापों की प्रशासनिक एवं संचार तंत्र व्यवस्था से जुड़े विभिन्न व्यय को दिशा-निर्देशों में शामिल किया गया है (v) अंतर्राष्ट्रीय उद्यम संवर्धन केन्द्र (आईसीपीई) को अंशदान का भुगतान करने, (vi) आरडीसी स्कीम से जुड़े परामर्शदाताओं/प्रोग्रामरों आदि को भुगतान आरडीसी स्कीम से किया जाना प्रस्तावित किया गया है और (vii) केन्द्रीय लोक उद्यमों/राज्य लोक उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण के प्रकाशन के लिए किया जाता है।

वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 34

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम)

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	71.72	...	71.72	110.52	...	110.52	96.88	...	96.88	290.42	...	290.42
वसूलियां
प्राप्तियां
निवल	71.72	...	71.72	110.52	...	110.52	96.88	...	96.88	290.42	...	290.42
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	71.72	...	71.72	110.52	...	110.52	96.88	...	96.88	290.42	...	290.42
कुल जोड़	71.72	...	71.72	110.52	...	110.52	96.88	...	96.88	290.42	...	290.42
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	71.72	...	71.72	110.52	...	110.52	96.88	...	96.88	290.42	...	290.42
जोड़-आर्थिक सेवाएं	71.72	...	71.72	110.52	...	110.52	96.88	...	96.88	290.42	...	290.42
कुल जोड़	71.72	...	71.72	110.52	...	110.52	96.88	...	96.88	290.42	...	290.42

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं:** इस शीर्ष के अधीन सचिवालय के स्थापना संबंधी व्यय तथा परामर्शी शुल्क आदि का भुगतान करने की व्यवस्था की जाती है। डीआईपीएएम को प्रशासनिक मंत्रालयों/नीति आयोग की सिफारिशों पर पूंजी पुनर्नियतन, निर्णयों सहित केन्द्रीय लोक के उपक्रमों में विनिवेश नीति मामले, केन्द्रीय लोक उपक्रमों में इक्रिटी के विनिवेश सहित इक्रिटी में केन्द्र सरकार के निवेश के प्रबंधन का अधिदेश प्राप्त है।

वित्त मंत्रालय
मांग संख्या 35
राजस्व विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूँजी	जोड़	राजस्व	पूँजी	जोड़	राजस्व	पूँजी	जोड़	राजस्व	पूँजी	जोड़
कुल	268877.80	0.15	268877.95	201499.62	13.02	201512.64	209793.75	11.67	209805.42	227548.22	4.30	227552.52
<i>वसूलियां</i>	-137050.47	...	-137050.47	-100077.26	...	-100077.26	-97589.98	...	-97589.98	-106093.23	...	-106093.23
<i>प्राप्तियां</i>	-164.95	...	-164.95	-200.00	...	-200.00	-310.00	...	-310.00	-228.00	...	-228.00
निवल	131662.38	0.15	131662.53	101222.36	13.02	101235.38	111893.77	11.67	111905.44	121226.99	4.30	121231.29
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	324.10	...	324.10	452.03	...	452.03	468.05	...	468.05	424.61	...	424.61
2. मूल्य वृद्धि कर (वैट) स्कीम का क्रियान्वयन	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
3. प्रवर्तन निदेशालय	256.38	...	256.38	311.49	...	311.49	308.72	...	308.72	357.57	...	357.57
4. स्वापक नियंत्रण	32.35	...	32.35	37.65	...	37.65	41.50	...	41.50	41.46	...	41.46
5. विशेष जांच दल	2.28	...	2.28	3.13	...	3.13	2.94	...	2.94	2.99	...	2.99
6. वास्तविक वसूलियां	-0.53	...	-0.53
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	614.58	...	614.58	804.31	...	804.31	821.21	...	821.21	826.64	...	826.64
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
7. राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान	18.91	...	18.91	8.50	...	8.50	8.88	...	8.88	9.42	...	9.42
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
8. जीएसटीएन-एसपीवी में निवेश	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
अन्य												
9. अंतरराष्ट्रीय सहयोग	8.76	...	8.76	11.06	...	11.06	12.18	...	12.18	11.57	...	11.57
10. अन्य व्यय	44.81	...	44.81	52.04	...	52.04	49.15	...	49.15	55.85	...	55.85
11. अफीम एवं क्षारोद्य कारखाना												
11.01 अफीम और क्षारोद्य कारखानों में कार्यशील व्यय	179.94	...	179.94	281.83	...	281.83	273.56	...	273.56	318.15	...	318.15
11.02 घटाएं राजस्व प्राप्ति	-164.95	...	-164.95	-200.00	...	-200.00	-310.00	...	-310.00	-228.00	...	-228.00
11.03 अफीम और क्षारोद्य कारखानों में पूंजीगत व्यय	...	0.14	0.14	...	10.00	10.00	...	6.66	6.66	...	1.28	1.28
जोड़- अफीम एवं क्षारोद्य कारखाना	14.99	0.14	15.13	81.83	10.00	91.83	-36.44	6.66	-29.78	90.15	1.28	91.43

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
12. राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण संवर्द्धन समिति	0.15	...	0.15	0.01	...	0.01
13. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	0.01	0.01	...	2.00	2.00	...	0.01	0.01
14. आवास पर पूंजीगत परिव्यय	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00
15. जीएसटीएन (वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क) पर प्रयोक्ता प्रभार	241.33	...	241.33	264.44	...	264.44	243.32	...	243.32	233.32	...	233.32
जोड़-अन्य	309.89	0.14	310.03	409.52	13.01	422.53	268.21	11.66	279.87	390.90	4.29	395.19
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	328.80	0.15	328.95	418.02	13.02	431.04	277.09	11.67	288.76	400.32	4.30	404.62
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
16. बेट को लाने एवं बेट से संबंधित व्यय के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को क्षतिपूर्ति	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
17. केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को हटाए जाने के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को क्षतिपूर्ति	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
18. जीएसटी को लागू करने पर हुई राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्षतिपूर्ति												
18.01 जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में अंतरण	106317.00	...	106317.00	100000.00	...	100000.00	110795.47	...	110795.47	120000.00	...	120000.00
18.02 राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को निर्गम	136988.47	...	136988.47	100000.00	...	100000.00	97500.00	...	97500.00	106000.00	...	106000.00
18.03 जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि से पूरी की गई राशि	-136988.47	...	-136988.47	-100000.00	...	-100000.00	-97500.00	...	-97500.00	-106000.00	...	-106000.00
	<i>निवल</i> 106317.00	...	106317.00	100000.00	...	100000.00	110795.47	...	110795.47	120000.00	...	120000.00
19. पिछले वर्ष के असंभाजित आईजीएसटी के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भाग का अंतरण	24402.00	...	24402.00
जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण	130719.00	...	130719.00	100000.03	...	100000.03	110795.47	...	110795.47	120000.03	...	120000.03
कुल जोड़	131662.38	0.15	131662.53	101222.36	13.02	101235.38	111893.77	11.67	111905.44	121226.99	4.30	121231.29
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. आय और व्यय पर करों का संग्रहण	0.15	...	0.15	0.01	...	0.01
2. अन्य राजकोषीय सेवाएं	564.43	...	564.43	639.73	...	639.73	614.44	...	614.44	659.93	...	659.93
3. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	323.67	...	323.67	452.04	...	452.04	468.05	...	468.05	424.62	...	424.62
4. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	40.29	...	40.29	48.58	...	48.58	52.25	...	52.25	52.25	...	52.25
5. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
6. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	0.01	0.01	...	2.00	2.00	...	0.01	0.01
जोड़-सामान्य सेवाएं	928.39	0.01	928.40	1140.50	0.02	1140.52	1134.74	2.01	1136.75	1136.81	0.02	1136.83
सामाजिक सेवाएं												
7. आवास पर पूंजीगत परिव्यय	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00
जोड़-सामाजिक सेवाएं	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
आर्थिक सेवाएं												
8. अन्य उद्योग	14.99	...	14.99	81.83	...	81.83	-36.44	...	-36.44	90.15	...	90.15
9. अन्य उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	...	0.14	0.14	...	10.00	10.00	...	6.66	6.66	...	1.28	1.28
जोड़-आर्थिक सेवाएं	14.99	0.14	15.13	81.83	10.00	91.83	-36.44	6.66	-29.78	90.15	1.28	91.43
अन्य												
10. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	121651.46	...	121651.46	93000.02	...	93000.02	103394.47	...	103394.47	111600.02	...	111600.02
11. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	9067.54	...	9067.54	7000.01	...	7000.01	7401.00	...	7401.00	8400.01	...	8400.01
जोड़-अन्य	130719.00	...	130719.00	100000.03	...	100000.03	110795.47	...	110795.47	120000.03	...	120000.03
कुल जोड़	131662.38	0.15	131662.53	101222.36	13.02	101235.38	111893.77	11.67	111905.44	121226.99	4.30	121231.29

	बजट 2022-2023			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
ग. लोक उद्यम में निवेश												
1. जीएसटीएन एसपीवी में निवेश	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01

- सचिवालय:** टीपीआरयू, माल और सेवा कर परिषद सचिवालय, आय कर ओवरसीज यूनिट्स, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, वित्तीय आसूचना एकक- भारत, प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीडीटी; प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीईसी, तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति की जब्ती) अधिनियम और स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकरणों और प्रबंधन समिति सहित राजस्व विभाग के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।
- मूल्य वृद्धि कर (वैट) स्कीम का क्रियान्वयन:** मूल्य वृद्धि कर (वैट) को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के कारण राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को होने वाली राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति के लिए सांकेतिक प्रावधान किया गया है।
- प्रवर्तन निदेशालय:** यह प्रावधान प्रवर्तन निदेशालय के व्यय के लिए किया गया है जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रवर्तन से संबंधित है।
- स्वापक नियंत्रण:** इसमें केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो और औषध दुरुपयोग नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय निधि (एनएफसीडीए) से होने वाले व्यय के लिए प्रावधान शामिल हैं।
- विशेष जांच दल:** यह प्रावधान माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार गठित किए गए विशेष जांच दल के आवर्ती व्यय के लिए है।
- राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान:** यह प्रावधान राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) को सहायता अनुदान देने के लिए किया गया है।
- जीएसटीएन-एसपीवी में निवेश:** माल एवं सेवा कर नेटवर्क विशेष प्रयोजन व्यवस्था में शेयर के अधिग्रहण का प्रावधान है।
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** यह प्रावधान धनशोधन पर एशिया/प्रशांत समूह, एग्मॉन्ट समूह और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) की सदस्यताओं के लिए वार्षिक अंशदान हेतु है।
- अन्य व्यय:** इसमें तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति की जब्ती) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत अपील अधिकरण, सीमा-शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण (सीस्टेट) और धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत न्याय निर्णयन प्राधिकरण के लिए किया गया प्रावधान शामिल है।

11. **अफीम एवं क्षारोद्य कारखाना:** यह प्रावधान गाजीपुर और नीमच स्थित अफीम कारखाना और क्षारोद्य कार्य के निवल व्यय हेतु है जिसमें अफीम उत्पाद की खरीद भी शामिल है। केंद्र सरकार का अफीम की खेती पर पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है और वह चिकित्सात्मक एवं वैज्ञानिक जरूरतों हेतु प्रोसेसिंग एवं विक्रय के लिए संपूर्ण उत्पाद का क्रय करती है।
12. **राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण संवर्द्धन समिति:** यह प्रावधान आयकर अधिनियम के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण संवर्द्धन समिति के व्यय को पूरा करने के लिए है।
13. **लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय:** यह प्रावधान राजस्व विभाग (राजस्व भवन आदि) के कार्यालय भवन के निर्माण के लिए है।
14. **आवास पर पूंजीगत परिव्यय:** यह प्रावधान प्रवर्तन निदेशालय के लिए रिहायशी फ्लैटों की खरीद/निर्माण के लिए किया गया है।
15. **जीएसटीएन (माल एवं सेवा कर नेटवर्क) पर प्रयोक्ता प्रभार:** प्रचालन उपरांत व्यय में केंद्र सरकार के हिस्से के सापेक्ष माल एवं सेवा कर तंत्र को प्रयोक्ता प्रभार के भुगतान हेतु प्रावधान किया गया है।
16. **वैट को लाने एवं वैट से संबंधित व्यय के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को क्षतिपूर्ति:** सांकेतिक प्रावधान वैट को लागू किए जाने और वैट संबंधी व्यय के कारण राजस्व हानियों के लिए राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों को क्षतिपूर्ति के लिए है।
17. **केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को हटाए जाने के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को क्षतिपूर्ति:** सांकेतिक प्रावधान केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को हटाए जाने के कारण संघ राज्य क्षेत्रों को हुई राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति हेतु है।
- 18.01. **जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में अंतरण:** जीएसटी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 2017 के तहत भारत की संचित निधि में एकत्रित उपकर में से लोक लेखा में जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में अंतरण करने का प्रावधान है।
- 18.02. **राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्गम:** वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को होने वाली राजस्व हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए यह प्रावधान रखा गया है।
- 18.03. **जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि से पूरी की गई धनराशि:** यह प्रावधान माल और सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन के कारण राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को हुई राजस्व हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए है, जिसे जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर कोष से पूरा किया जाना है।

वित्त मंत्रालय
मांग संख्या 36
प्रत्यक्ष कर

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
कुल	7229.93	173.14	7403.07	8180.34	352.00	8532.34	8206.89	302.00	8508.89	8866.80	442.00	9308.80	
<i>वसूलियां</i>	-6.64	-0.05	-6.69	...	-2.00	-2.00	...	-2.00	-2.00	...	-2.00	-2.00	
<i>प्राप्तियां</i>	
निवल	7223.29	173.09	7396.38	8180.34	350.00	8530.34	8206.89	300.00	8506.89	8866.80	440.00	9306.80	
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
1. आय और व्यय पर करों का संग्रहण													
1.01	आय कर का संग्रहण	6110.32	...	6110.32	6912.39	...	6912.39	6934.82	...	6934.82	7492.45	...	7492.45
1.02	निगम कर का संग्रहण	939.02	...	939.02	1063.44	...	1063.44	1066.90	...	1066.90	1152.68	...	1152.68
1.03	वास्तविक वसूली	-6.64	...	-6.64
	<i>निवल</i>	<i>7042.70</i>	...	<i>7042.70</i>	<i>7975.83</i>	...	<i>7975.83</i>	<i>8001.72</i>	...	<i>8001.72</i>	<i>8645.13</i>	...	<i>8645.13</i>
2. संपत्ति, प्रतिभूति लेनदेन और अन्य करों का संग्रहण													
2.01	धन कर का संग्रहण	18.06	...	18.06	20.45	...	20.45	20.52	...	20.52	22.17	...	22.17
2.02	प्रतिभूति लेनदेन कर	36.12	...	36.12	40.90	...	40.90	41.03	...	41.03	44.33	...	44.33
2.03	अन्य करों का संग्रहण	126.41	...	126.41	143.16	...	143.16	143.62	...	143.62	155.17	...	155.17
2.04	तैयार निर्मित आवास की खरीद : कार्यालय भवन	...	113.95	113.95	...	225.11	225.11	...	200.00	200.00	...	286.00	286.00
2.05	तैयार निर्मित आवास की खरीद : आवासीय भवन	...	58.15	58.15	...	124.89	124.89	...	100.00	100.00	...	154.00	154.00
	<i>जोड़- धन, प्रतिभूति लेनदेन और अन्य करों का संग्रहण</i>	<i>180.59</i>	<i>172.10</i>	<i>352.69</i>	<i>204.51</i>	<i>350.00</i>	<i>554.51</i>	<i>205.17</i>	<i>300.00</i>	<i>505.17</i>	<i>221.67</i>	<i>440.00</i>	<i>661.67</i>
	जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	7223.29	172.10	7395.39	8180.34	350.00	8530.34	8206.89	300.00	8506.89	8866.80	440.00	9306.80
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय													
अन्य													
3. आयकर अधिनियम के अंतर्गत अचल संपत्ति का अधिग्रहण													
3.01	सकल व्यय	...	1.04	1.04	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00
3.02	घटाइए-बिक्री प्राप्तियां	...	-0.05	-0.05	...	-2.00	-2.00	...	-2.00	-2.00	...	-2.00	-2.00
	<i>निवल</i>	...	<i>0.99</i>	<i>0.99</i>
कुल जोड़		7223.29	173.09	7396.38	8180.34	350.00	8530.34	8206.89	300.00	8506.89	8866.80	440.00	9306.80

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. आय और व्यय पर करों का संग्रहण	7042.70	...	7042.70	7975.83	...	7975.83	8001.72	...	8001.72	8645.13	...	8645.13
2. धन कर, प्रतिभूति लेनदेन कर तथा अन्य करों का संग्रहण	180.59	...	180.59	204.51	...	204.51	205.17	...	205.17	221.67	...	221.67
3. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	113.94	113.94	...	225.11	225.11	...	200.00	200.00	...	286.00	286.00
4. विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	1.00	1.00
जोड़-सामान्य सेवाएं	7223.29	114.94	7338.23	8180.34	225.11	8405.45	8206.89	200.00	8406.89	8866.80	286.00	9152.80
सामाजिक सेवाएं												
5. आवास पर पूंजीगत परिव्यय	...	58.15	58.15	...	124.89	124.89	...	100.00	100.00	...	154.00	154.00
जोड़-सामाजिक सेवाएं	...	58.15	58.15	...	124.89	124.89	...	100.00	100.00	...	154.00	154.00
कुल जोड़	7223.29	173.09	7396.38	8180.34	350.00	8530.34	8206.89	300.00	8506.89	8866.80	440.00	9306.80

1.01. **आय कर का संग्रहण:** इसमें उस प्रत्यक्ष कर संगठन के लिए किया गया प्रावधान शामिल है जो केंद्र सरकार द्वारा व्यक्तिगत आय, एचयूएफ, फर्म, एओपी, न्यास और अन्य निर्धारिती, जिसमें कि कारपोरेट निर्धारिती नहीं आते हैं, की आय पर लगाए और वसूले गए सभी प्रकार के प्रत्यक्ष करों को देखता है।

1.02. **निगम कर का संग्रहण:** इसमें उस प्रत्यक्ष कर संगठन के लिए किया गया प्रावधान शामिल है जो केंद्र सरकार द्वारा कारपोरेट निर्धारिती की आय पर लगाए और वसूले गए सभी प्रत्यक्ष करों को देखता है।

2.01. **धन कर का संग्रहण:** इसमें उस प्रत्यक्ष कर संगठन के लिए किया गया प्रावधान शामिल है जो केंद्र सरकार द्वारा धन पर लगाए और वसूले गए सभी प्रत्यक्ष करों को देखता है।

2.02. **प्रतिभूति लेनदेन कर:** इसमें उस प्रत्यक्ष कर संगठन के लिए किया गया प्रावधान शामिल है जो केंद्र सरकार द्वारा प्रतिभूति पर लगाए और वसूले गए सभी प्रत्यक्ष करों को देखता है।

2.03. **अन्य करों का संग्रहण:** इसमें उस प्रत्यक्ष कर संगठन के लिए किया गया प्रावधान शामिल है जो केंद्र सरकार द्वारा उपर्युक्त करों से भिन्न अन्य करों पर लगाए और वसूले गए सभी प्रत्यक्ष करों को देखता है।

2.04. **तैयार निर्मित आवास की खरीद : कार्यालय भवन:** यह प्रावधान प्रत्यक्ष कर संगठन से संबंधित कार्यालय प्रयोजन के लिए बने-बनाए कार्यालय/ भवन की खरीद/भूमि की खरीद/भवन के निर्माण से संबंधित है।

2.05. **तैयार निर्मित आवास की खरीद : आवासीय भवन:** यह प्रावधान प्रत्यक्ष कर संगठन से संबंधित आवासीय प्रयोजन के लिए बने-बनाए भवन/आवासीय भवन की खरीद/भूमि की खरीद/भवन के निर्माण से संबंधित है।

3. **आयकर अधिनियम के अंतर्गत अचल संपत्ति का अधिग्रहण:** यह प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XXC में परिकल्पित केंद्र सरकार द्वारा अचल संपत्ति के अग्रक्रय से संबंधित बिक्री से प्राप्त आय एवं पहले से हासिल किया गया सुरक्षा शुल्क, संपत्ति के अनुरक्षण और रखरखाव के आय के लिए है।

वित्त मंत्रालय
मांग संख्या 37
अप्रत्यक्ष कर

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
कुल	7168.11	216.10	7384.21	20907.27	452.00	21359.27	73960.99	978.00	74938.99	39739.17	1400.00	41139.17	
वसूलियां	-4.09	...	-4.09	-24.50	...	-24.50	-0.50	...	-0.50	-0.50	...	-0.50	
प्राप्तियां	
निवल	7164.02	216.10	7380.12	20882.77	452.00	21334.77	73960.49	978.00	74938.49	39738.67	1400.00	41138.67	
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
1. सीमा शुल्क													
1.01	सीमा शुल्क का संग्रहण	2064.98	...	2064.98	2367.56	...	2367.56	2295.23	...	2295.23	2547.85	...	2547.85
1.02	सीमा शुल्क का स्थापना खर्च	...	5.49	5.49	...	105.00	105.00	...	78.00	78.00	...	200.00	200.00
1.03	निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों एवं करों की माफी (आरओडीटीईपी)	13000.00	...	13000.00	12454.00	...	12454.00	13699.40	...	13699.40
1.04	राज्य एवं केन्द्रीय करों एवं उगाहियों पर छूट (आरओएससीटीएल)	6946.00	...	6946.00	7640.60	...	7640.60
	जोड़- सीमा शुल्क	2064.98	5.49	2070.47	15367.56	105.00	15472.56	21695.23	78.00	21773.23	23887.85	200.00	24087.85
2. बकायों का एकमुश्त भुगतान													
2.01	भारत से मर्चेडाइज निर्यात स्कीम (एमईआईएस)	29599.20	...	29599.20	3288.80	...	3288.80
2.02	भारत से सेवा निर्यात स्कीम (एसईआईएस)	6001.20	...	6001.20	4000.80	...	4000.80
2.03	राज्य एवं केन्द्रीय करों एवं उगाहियों पर छूट (आरओएससीटीएल)	5286.00	...	5286.00
2.04	निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों एवं करों की माफी (आरओडीटीईपी)	2568.00	...	2568.00	546.00	...	546.00
2.05	टारगेट प्लस स्कीम	1549.02	...	1549.02	1032.68	...	1032.68
2.06	फोकस प्रोडक्ट स्कीम एवं मार्केट लिंकड प्रोडक्ट स्कीम	565.68	...	565.68	377.12	...	377.12
2.07	स्टेटस होल्डर्स इन्सेंटिव स्कीम (एसएचआईएस)	378.90	...	378.90	169.20	...	169.20
2.08	राज्य उगाही स्कीम पर छूट (आरओएसएल)	264.00	...	264.00	66.00	...	66.00
2.09	फोकस मार्केट स्कीम	175.27	...	175.27	116.85	...	116.85
2.10	विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना	136.15	...	136.15	90.76	...	90.76
2.11	मोबाइल फोनों के लिए 2 प्रतिशत अतिरिक्त तदर्थ बोनस प्रोत्साहन	109.80	...	109.80	12.20	...	12.20

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
2.12 वृद्धिशील निर्यात प्रोत्साहन स्कीम (वार्षिक एवं तिमाही)	82.75	...	82.75	149.90	...	149.90
2.13 भारत से सेवा-प्राप्त स्कीम (एसएफआईएस)	6.66	...	6.66
जोड़- बकायों का एकमुश्त भुगतान	46722.63	...	46722.63	9850.31	...	9850.31
3. केंद्रीय उत्पाद शुल्क /केंद्रीय माल और सेवा कर												
3.01 केंद्रीय उत्पाद शुल्क / केंद्रीय माल और सेवा कर का संग्रहण	4047.14	...	4047.14	4413.71	...	4413.71	4438.58	...	4438.58	4851.82	...	4851.82
3.02 उत्पाद शुल्क /केंद्रीय माल और सेवा कर का स्थापना खर्च	1045.35	...	1045.35	1079.50	...	1079.50	1082.05	...	1082.05	1128.69	...	1128.69
3.03 आवास - रख-रखाव और मरम्मत	10.64	...	10.64	22.00	...	22.00	22.00	...	22.00	20.00	...	20.00
3.04 बने बनाए मकानों की खरीद-कार्यालय भवन	...	62.20	62.20	...	139.00	139.00	...	536.00	536.00	...	780.00	780.00
3.05 बने बनाए मकानों की खरीद-आवासीय भवन	...	148.41	148.41	...	208.00	208.00	...	364.00	364.00	...	420.00	420.00
जोड़- केंद्रीय उत्पाद शुल्क /केंद्रीय माल और सेवा कर	5103.13	210.61	5313.74	5515.21	347.00	5862.21	5542.63	900.00	6442.63	6000.51	1200.00	7200.51
4. वास्तविक वसूलियां	-4.09	...	-4.09
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	7164.02	216.10	7380.12	20882.77	452.00	21334.77	73960.49	978.00	74938.49	39738.67	1400.00	41138.67
कुल जोड़	7164.02	216.10	7380.12	20882.77	452.00	21334.77	73960.49	978.00	74938.49	39738.67	1400.00	41138.67
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. सीमा शुल्क	2063.86	...	2063.86	15367.56	...	15367.56	68417.86	...	68417.86	33738.16	...	33738.16
2. केंद्रीय वस्तु और सेवा कर एवं एकीकृत वस्तु और सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार	5089.52	...	5089.52	5493.21	...	5493.21	5520.63	...	5520.63	5980.51	...	5980.51
3. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	5.49	5.49	...	105.00	105.00	...	78.00	78.00	...	200.00	200.00
4. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	62.20	62.20	...	139.00	139.00	...	536.00	536.00	...	780.00	780.00
जोड़-सामान्य सेवाएं	7153.38	67.69	7221.07	20860.77	244.00	21104.77	73938.49	614.00	74552.49	39718.67	980.00	40698.67
सामाजिक सेवाएं												
5. आवास	10.64	...	10.64	22.00	...	22.00	22.00	...	22.00	20.00	...	20.00
6. आवास पर पूंजीगत परिव्यय	...	148.41	148.41	...	208.00	208.00	...	364.00	364.00	...	420.00	420.00
जोड़-सामाजिक सेवाएं	10.64	148.41	159.05	22.00	208.00	230.00	22.00	364.00	386.00	20.00	420.00	440.00
कुल जोड़	7164.02	216.10	7380.12	20882.77	452.00	21334.77	73960.49	978.00	74938.49	39738.67	1400.00	41138.67

- 1.01. **सीमा शुल्क का संग्रहण:** इसमें स्थापना और सीमाशुल्क विंग के अन्य व्यय , सीमा शुल्क कल्याण कोष में अंतरण और अन्य विभाग को भुगतान से संबंधित प्रावधान आते हैं।
- 1.02. **सीमा शुल्क का स्थापना खर्च:** तस्करीरोधी उपकरणों, कंटेनर स्केनर्स, मेरीन फ्लीट की खरीद और एक्सबीआईएस आदि की खरीद पर आने वाले खर्च को पूरा करने के लिए प्रावधान किया गया है।

- 1.03. **निर्यात उत्पादों पर शुल्कों एवं करों की माफी (आरबीडीटीईपी):** निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की माफी- स्क्रिप आधारित योजनाओं के लिए प्रावधान किया गया है।
- 1.04. **राज्य एवं केंद्रीय करों एवं उगाहियों पर छूट (आरओएससीटीएल):** यह प्रावधान राज्य और केंद्रीय करों और उगाही पर छूट के लिए किया गया है।
2. **बकायों का एकमुश्त भुगतान:** यह प्रावधान स्क्रिप आधारित योजनाओं के बकाया के एकमुश्त भुगतान के लिए किया गया है।

3.01. **केंद्रीय उत्पाद शुल्क / केन्द्रीय माल और सेवा कर का संग्रहण:** यह प्रावधान केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संगठन के स्थापना खर्च, जिसमें केंद्रीय वस्तु और सेवा कर, एकीकृत वस्तु और सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क की वसूली पर आने वाले अन्य खर्च शामिल हैं, और उपभोक्ता कल्याण कोष के लिए प्रावधान है।

3.02. **उत्पाद शुल्क / केन्द्रीय माल और सेवा कर का स्थापना खर्च:** यह प्रावधान मुख्य रूप से निष्पादन प्रबंधन, लेखा-परीक्षा, प्रणाली एवं डाटा प्रबंधन, नासिन, सतर्कता, प्रचार एवं जनसंपर्क निदेशालय, करदाता सेवा निदेशालय, माल एवं सेवा कर निदेशालय, माल एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय, सेटलमेंट कमीशन पर स्थापना और अन्य खर्च के लिए किया गया है।

3.03. **आवासन-अनुरक्षण एवं मरम्मत :** यह प्रावधान विभाग के स्वामित्व में आने वाले आवासीय भवनों की देखरेख और मरम्मत के लिए है।

3.04. **बने बनाए मकानों की खरीद-कार्यालय भवन:** इसमें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड से संबंधित बने बनाए कार्यालय भवन और भूमि की खरीद के लिए तथा कार्यालय भवनों के निर्माण आदि से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

3.05. **बने बनाए मकानों की खरीद-आवासीय भवन:** इसमें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के लिए बने बनाए आवासीय भवनों और भूमि की खरीद तथा आवासीय मकानों के निर्माण आदि से संबंधित प्रावधान आते हैं।

वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 38

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	5035.24	7.91	5043.15	5409.97	24.95	5434.92	5387.21	54.95	5442.16	5952.56	24.00	5976.56
वसूलियां	-302.72	...	-302.72	-342.78	...	-342.78	-337.52	...	-337.52	-356.42	...	-356.42
प्राप्तियां
निवल	4732.52	7.91	4740.43	5067.19	24.95	5092.14	5049.69	54.95	5104.64	5596.14	24.00	5620.14
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक	168.59	...	168.59	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	229.07	...	229.07
2. सिविल लेखा परीक्षा एवं लेखा कार्यालय												
2.01 सिविल लेखापरीक्षा कार्यालय	2458.05	...	2458.05	2702.51	...	2702.51	2670.47	...	2670.47	2982.71	...	2982.71
2.02 सिविल लेखा कार्यालय	1640.08	...	1640.08	1638.63	...	1638.63	1638.44	...	1638.44	1519.59	...	1519.59
2.03 केन्द्रीकृत प्रापण	237.67	...	237.67
2.04 प्रशिक्षण	75.63	...	75.63
जोड़- सिविल लेखा परीक्षा एवं लेखा कार्यालय	4098.13	...	4098.13	4341.14	...	4341.14	4308.91	...	4308.91	4815.60	...	4815.60
3. डाक एवं दूरसंचार लेखापरीक्षा कार्यालय	143.12	...	143.12	162.32	...	162.32	162.92	...	162.92	168.15	...	168.15
4. रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालय	255.79	...	255.79	291.52	...	291.52	295.00	...	295.00	299.61	...	299.61
5. रक्षा लेखापरीक्षा कार्यालय	114.21	...	114.21	129.98	...	129.98	132.01	...	132.01	133.99	...	133.99
6. वाणिज्यिक लेखापरीक्षा कार्यालय	203.50	...	203.50	215.67	...	215.67	217.96	...	217.96	254.31	...	254.31
7. विदेश स्थित लेखापरीक्षा कार्यालय	23.13	...	23.13	34.42	...	34.42	34.47	...	34.47	34.15	...	34.15
8. अन्य व्यय	28.77	...	28.77	34.92	...	34.92	35.94	...	35.94	17.68	...	17.68
9. बने बनाए कार्यालय भवनों की खरीद	...	5.27	5.27	...	14.00	14.00	...	14.00	14.00	...	15.00	15.00
10. बने बनाए रिहायशी भवनों की खरीद	...	2.64	2.64	...	10.95	10.95	...	40.95	40.95	...	9.00	9.00
11. किये गये व्यय के प्रति समायोजित वसूलियां												
11.01 भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक	-3.34	...	-3.34	-8.25	...	-8.25	-8.94	...	-8.94	-9.39	...	-9.39
11.02 लेखापरीक्षा और लेखा कार्यालय	-299.38	...	-299.38	-334.53	...	-334.53	-328.58	...	-328.58	-347.03	...	-347.03
जोड़	-302.72	...	-302.72	-342.78	...	-342.78	-337.52	...	-337.52	-356.42	...	-356.42
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	4732.52	7.91	4740.43	5067.19	24.95	5092.14	5049.69	54.95	5104.64	5596.14	24.00	5620.14

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल जोड़	4732.52	7.91	4740.43	5067.19	24.95	5092.14	5049.69	54.95	5104.64	5596.14	24.00	5620.14
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. लेखा परीक्षा	4732.52	...	4732.52	5067.19	...	5067.19	5049.69	...	5049.69	5596.14	...	5596.14
2. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	5.27	5.27	...	14.00	14.00	...	14.00	14.00	...	15.00	15.00
जोड़-सामान्य सेवाएं	4732.52	5.27	4737.79	5067.19	14.00	5081.19	5049.69	14.00	5063.69	5596.14	15.00	5611.14
सामाजिक सेवाएं												
3. आवास पर पूंजीगत परिव्यय	...	2.64	2.64	...	10.95	10.95	...	40.95	40.95	...	9.00	9.00
जोड़-सामाजिक सेवाएं	...	2.64	2.64	...	10.95	10.95	...	40.95	40.95	...	9.00	9.00
कुल जोड़	4732.52	7.91	4740.43	5067.19	24.95	5092.14	5049.69	54.95	5104.64	5596.14	24.00	5620.14

1. **भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक:** इस मांग में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षा कार्यालयों से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान सम्मिलित हैं।

2.01. **सिविल लेखापरीक्षा कार्यालय:** इस मांग में सिविल लेखापरीक्षा कार्यालयों से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान सम्मिलित है।

2.02. **सिविल लेखा कार्यालय:** इस मांग में सिविल लेखा कार्यालयों से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान सम्मिलित है।

2.03. **केन्द्रीकृत प्रापण:** यह प्रावधान ओआईओएस सहित आईएण्डएडी की सभी केन्द्रीकृत खरीद से संबंधित व्यय के लिए हैं।

2.04. **प्रशिक्षण:** यह प्रावधान आईएण्डएडी के सभी प्रशिक्षण संस्थानों से संबंधित व्यय के लिए हैं।

3. **डाक एवं दूरसंचार लेखापरीक्षा कार्यालय:** इस मांग में डाक एवं दूरसंचार लेखापरीक्षा कार्यालयों से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान सम्मिलित है।

4. **रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालय:** इस मांग में रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालयों से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान सम्मिलित है।

5. **रक्षा लेखापरीक्षा कार्यालय:** इस मांग में रक्षा लेखापरीक्षा कार्यालयों से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान सम्मिलित है।

6. **वाणिज्यिक लेखापरीक्षा कार्यालय:** इस मांग में वाणिज्यिक लेखापरीक्षा कार्यालयों से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान सम्मिलित है।

7. **विदेश स्थित लेखापरीक्षा कार्यालय:** इस मांग में विदेश स्थित लेखापरीक्षा कार्यालयों से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान सम्मिलित है।

8. **अन्य व्यय:** इस मांग में राष्ट्रीय लेखापरीक्षा तथा लेखा अकादमी शिमला एवं भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग की विभागीय कैन्टीनों से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान सम्मिलित है।

9. **बने बनाए कार्यालय भवनों की खरीद:** यह प्रावधान कार्यालय भवनों के नवीनीकरण कार्यों और उनमें दूसरी विभिन्न सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने के लिए है।

10. **बने बनाए रिहायशी भवनों की खरीद:** यह प्रावधान फ्लैटों की खरीद, रिहायशी मकानों के नवीनीकरण कार्यों और उनमें दूसरी विभिन्न सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने के लिए है।

11.01. **भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक:** संयुक्त राष्ट्र लेखापरीक्षा कार्यालयों तथा मुख्यालय में रेलवे लेखा परीक्षा स्कंध पर किये गये व्यय के प्रति समायोजित वसूलियां।

11.02. **लेखापरीक्षा और लेखा कार्यालय:** डाक तथा दूरसंचार लेखा परीक्षा कार्यालयों और रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालयों पर किये गये व्यय के प्रति समायोजित वसूलियां।

वित्त मंत्रालय
सं 39 (विनियोग)
ब्याज अदायगियां

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	720985.20	...	720985.20	847195.79	...	847195.79	837186.70	...	837186.70	970003.67	...	970003.67
वसूलियां	-1.27	...	-1.27	-7500.00	...	-7500.00	-14000.00	...	-14000.00
प्राप्तियां	-41115.35	...	-41115.35	-37494.47	...	-37494.47	-15895.70	...	-15895.70	-15352.65	...	-15352.65
निवल	679868.58	...	679868.58	809701.32	...	809701.32	813791.00	...	813791.00	940651.02	...	940651.02
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
अन्य												
1. ऋण की कमी के लिए प्रीमियम का पूर्व-भुगतान	9047.36	...	9047.36	7485.12	...	7485.12	5689.26	...	5689.26	3213.61	...	3213.61
2. आंतरिक ऋण पर ब्याज												
2.01 बाजार ऋण	504357.28	...	504357.28	578609.48	...	578609.48	575959.86	...	575959.86	657048.70	...	657048.70
2.02 घटाएं : राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एक के बाद एक ऋणों पर जीएसटी प्रतिपूर्ति निधि से पूरी की गई धनराशि	-7500.00	...	-7500.00	-14000.00	...	-14000.00
2.03 कम उपार्जित ब्याज	-41115.35	...	-41115.35	-37494.47	...	-37494.47	-15895.70	...	-15895.70	-15352.65	...	-15352.65
2.04 नकद प्रबंधन बिलों पर छूट	595.09	...	595.09	2000.00	...	2000.00	1000.00	...	1000.00
2.05 क्षतिपूर्ति और अन्य बंधपत्र	3352.43	...	3352.43	4757.59	...	4757.59	5253.55	...	5253.55	8656.47	...	8656.47
2.06 14 दिवसीय राजकोपीय बिल	1720.12	...	1720.12	3000.00	...	3000.00	1750.00	...	1750.00	2500.00	...	2500.00
2.07 91 दिवसीय राजकोपीय बिल	5983.80	...	5983.80	7671.83	...	7671.83	7927.32	...	7927.32	9145.29	...	9145.29
2.08 182 दिवसीय राजकोपीय बिल	8368.23	...	8368.23	10453.38	...	10453.38	8472.64	...	8472.64	11535.69	...	11535.69
2.09 364 दिवसीय राजकोपीय बिल पर छूट	15893.49	...	15893.49	18642.06	...	18642.06	16484.25	...	16484.25	20856.70	...	20856.70
2.10 ऋणों का प्रबंधन	1903.44	...	1903.44	2500.00	...	2500.00	1650.00	...	1650.00	2500.00	...	2500.00
2.11 अर्थोपाय अग्रिम	1345.37	...	1345.37	2000.00	...	2000.00	1000.00	...	1000.00
2.12 विशेष प्रतिभूतियों के रूपांतरण में जारी की गई बाजार योग्य प्रतिभूतियां	2142.25	...	2142.25	2135.57	...	2135.57	2001.91	...	2001.91	1745.89	...	1745.89
2.13 बाजार स्थिरीकरण योजना
2.14 पुनर्पूंजीकरण बंध पत्रों पर ब्याज	17689.57	...	17689.57	18281.82	...	18281.82	17689.57	...	17689.57	17689.57	...	17689.57
2.15 सरकार नियंत्रित अन्य बैंकिंग कम्पनियों के प्रति पुनर्पूंजीकरण बंधपत्रों पर ब्याज	1603.20	...	1603.20	1010.95	...	1010.95	1603.20	...	1603.20	1603.20	...	1603.20
2.16 सावरन गोल्ड बांड योजना 2015 पर ब्याज	503.12	...	503.12	1029.29	...	1029.29	890.41	...	890.41	1209.73	...	1209.73

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
2.17 स्वर्ण मुद्राकरण योजना 2015 पर व्याज	113.78	...	113.78	225.00	...	225.00	160.00	...	160.00	170.00	...	170.00
जोड़- आंतरिक ऋण पर व्याज	524455.82	...	524455.82	614822.50	...	614822.50	616447.01	...	616447.01	707308.59	...	707308.59
3. बाह्य ऋणों पर व्याज	8203.70	...	8203.70	10617.00	...	10617.00	7096.20	...	7096.20	7925.90	...	7925.90
4. लघु बचत, भविष्य निधियों इत्यादि पर व्याज												
4.01 लघु बचत जमा, बचत पत्रों तथा परिचालन व्यय पर व्याज	79258.14	...	79258.14	112692.12	...	112692.12	121055.84	...	121055.84	159127.22	...	159127.22
4.02 राज्य भविष्य निधियां	16383.63	...	16383.63	19402.46	...	19402.46	16972.17	...	16972.17	17576.44	...	17576.44
4.03 बीमा तथा पेंशन निधियां	7380.25	...	7380.25	7162.00	...	7162.00	7410.00	...	7410.00	7134.00	...	7134.00
4.04 गैर सरकारी भविष्य निधि की विशेष जमा	3473.36	...	3473.36	4121.04	...	4121.04	3729.03	...	3729.03	3953.37	...	3953.37
4.05 अन्य विशेष जमा	15192.69	...	15192.69	16729.85	...	16729.85	18579.56	...	18579.56	18309.98	...	18309.98
जोड़- लघु बचत, भविष्य निधियों इत्यादि पर व्याज	121688.07	...	121688.07	160107.47	...	160107.47	167746.60	...	167746.60	206101.01	...	206101.01
5. रिजर्व निधियों पर व्याज	490.01	...	490.01	617.85	...	617.85	814.82	...	814.82	819.93	...	819.93
6. अन्य दायित्वों पर व्याज												
6.01 तेल कंपनियों को विशेष बांड	9989.96	...	9989.96	9989.96	...	9989.96	9989.96	...	9989.96	9195.96	...	9195.96
6.02 भारतीय खाद्य निगम को जारी विशेष बांड	1319.26	...	1319.26	1319.26	...	1319.26	1319.26	...	1319.26	1319.26	...	1319.26
6.03 उर्वरक कंपनियों को जारी विशेष बांड	1173.58	...	1173.58	1173.58	...	1173.58	1173.58	...	1173.58	1173.58	...	1173.58
6.04 एसबीआई राइट्स के लिए बांड	834.67	...	834.67	834.67	...	834.67	834.67	...	834.67	834.67	...	834.67
6.05 पीएलआई को विशेष बांड	1612.48	...	1612.48	1231.18	...	1231.18	1540.68	...	1540.68	1530.18	...	1530.18
6.06 अन्य को व्याज	1054.94	...	1054.94	1502.73	...	1502.73	1138.96	...	1138.96	1228.33	...	1228.33
जोड़- अन्य दायित्वों पर व्याज	15984.89	...	15984.89	16051.38	...	16051.38	15997.11	...	15997.11	15281.98	...	15281.98
7. वास्तविक वसूलियां	-1.27	...	-1.27
जोड़-अन्य	679868.58	...	679868.58	809701.32	...	809701.32	813791.00	...	813791.00	940651.02	...	940651.02
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	679868.58	...	679868.58	809701.32	...	809701.32	813791.00	...	813791.00	940651.02	...	940651.02
कुल जोड़	679868.58	...	679868.58	809701.32	...	809701.32	813791.00	...	813791.00	940651.02	...	940651.02
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. ऋण की कटौती या परिवर्जन के लिए विनियोग	9047.36	...	9047.36	7485.12	...	7485.12	5689.26	...	5689.26	3213.61	...	3213.61
2. व्याज भुगतान	670821.22	...	670821.22	802216.20	...	802216.20	808101.74	...	808101.74	937437.41	...	937437.41
जोड़-सामान्य सेवाएं	679868.58	...	679868.58	809701.32	...	809701.32	813791.00	...	813791.00	940651.02	...	940651.02
कुल जोड़	679868.58	...	679868.58	809701.32	...	809701.32	813791.00	...	813791.00	940651.02	...	940651.02

इस विनियोग में शामिल संपूर्ण व्यय को संविधान के अनुच्छेद 112(3)(ग) के अंतर्गत भारत की संविधि पर 'प्रभारित' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

जीएसटी की कमी के लिए जुटाई गई बाजार ऋणों पर व्याज भुगतान को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बारी बारी के आधार पर प्रदान किया जाता है जिसे जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि से पूरा किया जाता है।

इस विनियोग में केंद्रीय सरकार की ऋण देयताओं, आंतरिक और बाह्य दोनों, पर व्याज-प्रभारों के लिए प्रावधान है। इसमें वाणिज्यिक विभागों जैसे रेलवे की अन्य आरक्षित निधियों, मूल्यह्रास के अलावा सरकार के पास जमा भविष्य निधियों, विशेष जमा राशि पर देय व्याज हेतु प्रावधान शामिल है। केंद्रीय सरकार के ऋण तथा अन्य देयताओं के प्रबंध हेतु प्रावधान भी इस विनियोग में शामिल किए गए हैं।